



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 300]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2001/वैशाख 21, 1923

No. 300]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2001/VAISAKHA 21, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2001

का. आ. 414 (अ).—केन्द्रीय सरकार, डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 11-5-2001 को उस दिन के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

का.आ. (अ) डिजाइन नियम का एक प्रारूप, डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 47 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1069 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 29 नवंबर, 2000 में पृष्ठ 1 से 55 पर प्रकाशित किया गया था;

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, 4 जनवरी, 2001 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और डिजाइन नियम का प्रारूप तारीख 29 नवंबर, 2000 के उक्त राजपत्र के माध्यम से 4 दिसंबर, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था; और केन्द्रीय सरकार ने जनता से उक्त प्रारूप नियम की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

डिजाइन नियम, 2001

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिजाइन नियम, 2001 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो।

(क) "अधिनियम" से डिजाइन अधिनियम, 2000 अभिप्रेत है।

(ख) "यूनाइटेड किंगडम या अभिसमय देश या देशों के समूह या अन्तरशासनात्मक संगठन आवेदन" में यूनाइटेड किंगडम या अभिसमय देश या देशों के समूह या अन्तरशासनात्मक संगठन के किसी भाग में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा आवेदन अभिप्रेत है, जो उसने अधिनियम की धारा 44 के उपबंधों के अधीन भारत में किसी डिजाइन के संरक्षण के लिए किया है।

- (ग) "कार्यालय" से पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 74 में निर्दिष्ट पेटेंट कार्यालय अभिप्रेत है;
- (घ) "व्यतिकार आवेदन" से अधिनियम की धारा 44 के अधीन भारत में किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है ;
- (ङ) "संवर्ग" से समान साधारण लक्षण की ऐसी कई वस्तुएं अभिप्रेत हैं जिन्हें साधारणतः एक साथ विक्रय किया जाता है या जिनका एक साथ उपयोग किया जाना आशयित है, और जिनके डिजाइन ऐसे परिवर्तनों के सहित या बिना परिवर्तन के एक समान हैं, जो उनके लक्षणों को परिवर्तित करने या उनकी पहचान को सारतः प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

3. दस्तावेजों को देना और उनकी तामील :—

(1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन कार्यालय या नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति को फाईल करने, उनके छोड़ने, किए जाने या दिए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन, सूचना या अन्य दस्तावेज दस्ती तौर पर या डाक द्वारा पूर्व संदत्त पत्र या रजिस्ट्रीकृत डाक या त्वरित डाक या कुरियर सेवा द्वारा भेजा जा सकेगा और यदि इसे पूर्व संदत्त पत्र, रजिस्ट्रीकृत डाक या त्वरित डाक या कुरियर सेवा द्वारा प्रेषित किया गया है तो इसे उस समय फाईल किया गया, छोड़ा गया, किया गया, या दिया गया माना जाएगा जब कि उसे अन्तर्विष्ट करने वाला पत्र डाक के साधारण क्रम में वितरित होता है और ऐसे प्रेषण को साबित करने के लिए यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर उचित रूप से पता लिखा गया था और उसे भेजा गया था। यदि टेलीफैक्स/ई-मेल द्वारा भेजे गए दस्तावेज स्पष्ट और पूर्णतया सुपाठ्य हैं उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा;

परंतु यह कि टेलीफैक्स/ई-मेल द्वारा भेजे गए दस्तावेज से तत्संबंधी मूल दस्तावेज इस प्रकार फैक्स/ई-मेल किए गए दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कार्यालय में जमा कर दिया जाता है।

(2) किसी डिजाइन के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को डिजाइन रजिस्टर में दिये गए उसके पते पर या उसके तामील के पते पर या इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में किसी आवेदक या विरोधकर्ता को, आवेदन या विरोध की सूचना में तामील के लिए दिए गए पते पर भेजी गई लिखित सूचना जैसा कि इसके पश्चात् उपबंधित है, पते पर भेजी गई मानी जाएगी।

(3) आवेदक प्राधिकृत या अपेक्षित डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, प्रतिनिध्याधिकार के विस्तार के लिए कोई आवेदन, डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए याचिका डिजाइन के रजिस्टर में सुधार के लिए आवेदन विहित फीस के साथ शाखा कार्यालयों में भी फाईल कर सकेगा, छोड़ सकेगा, कर सकेगा या दे सकेगा।

(4) शाखा कार्यालय ऐसे आवेदनों या दस्तावेजों को फीस के साथ कार्यवाही और संचालन के लिए पेटेंट कार्यालय के मुख्य कार्यालय को पारेषित करेगा।

4. तामील के लिए पता :—

अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही का प्रत्येक आवेदक या विरोधकर्ता, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इसके पश्चात् किसी डिजाइन का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी होगा, भारत में तामील के लिए पता देगा और वह पता, डिजाइन से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए उस आवेदक या विरोधकर्ता या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का वास्तविक पता माना जा सकेगा। जब तक ऐसा पता नहीं दिया जाता है, नियंत्रक आवेदन या विरोध पर कार्यवाही करने या ऐसी सूचना, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित है, भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा :

परंतु यह कि तामील के लिए ऐसे पते में अभिकर्ता/आवेदक का ई-मेल या अंकीय पता भी सम्मिलित हो सकेगा।

5. फीसों :—

- (1) डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण तथा उसके लिए आवेदन और डिजाइन अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों से संबंधित अन्य मामलों में देय फीसों में वह होंगी जो नियमों की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं।
- (2) (क) कार्यालय में फीस की अदायगी नकद में या किसी अधिसूचित बैंक के ऐसे चैक या मांग ड्राफ्ट द्वारा, जो नियंत्रक को, कलकत्ता में संदेय हो, की जा सकेंगी और यदि इसे डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक या त्वरित डाक या कुरियर सेवा द्वारा भेजा गया हो तो उसका भुगतान उस समय किया गया समझा जाएगा जब चैक से युक्त ऐसा पूर्व संदत्त पत्र, जिस पर उचित रूप से पता लिखा हो, साधारण डाक के अनुक्रम में वितरित किया जाता है।
- (ख) ऐसे चैक या मांग ड्राफ्ट जिसमें कमीशन की राशि सही नहीं है और ऐसे चैक या मांग ड्राफ्ट जिनकी फीसों की अदायगी के लिए अनुज्ञात समय के भीतर उस पर विनिर्दिष्ट पूरे मूल्य के नकद का संग्रहण नहीं किया जा सकता हो, नियंत्रक के विवेक पर ही स्वीकृत किए जाएंगे।
- (ग) फीसों के मंदाय में स्टाम्प और भारतीय पोस्टल आर्डर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।
- (घ) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, कोई आवेदक या अभिकर्ता वित्तीय वर्ष में एक बार अग्रिम धन का निक्षेप कर सकेगा और नियंत्रक से अनुरोध कर सकेगा कि उसके द्वारा देय किसी फीस को उक्त निक्षेप से बसूल कर लिया जाए और ऐसे मामले

में फीस वसूल करने के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख या ऐसी तारीख जिसे फीस वसूल करने का अनुरोध प्राप्त होने की तारीख समझा जाए, इनमें जो भी पूर्वतर हो, फीस के संदाय की तारीख मानी जाएगी :

परन्तु यह कि अनुरोध कर रहे व्यक्ति की जमा रकम में अपेक्षित धनराशि उपलब्ध है।

6. प्ररूप :—

- (1) द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्ररूपों को, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, उनमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।
- (2) जब किसी प्रयोजन के लिए कोई प्ररूप विनिर्दिष्ट नहीं है, तो आवेदक अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी प्ररूप को ऐसे उपांतरण या परिवर्तन के साथ, जिन्हें नियंत्रक अनुज्ञात करे, प्रयोग कर सकेगा।

7. दस्तावेजों का आकार, आदि :—

(1) कार्यालय को भेजे गए या फाइल किए गए या दिए गए या नियंत्रक को अन्य रीति से प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज और दस्तावेजों की प्रतियां रेखाचित्रों और अभ्यावेदनों को छोड़कर, बड़े और सुस्पष्ट अक्षरों में गहरी स्याही से ए 4 आकार के सफेद मजबूत कागज पर केवल एक ओर उसके बाईं ओर डेढ़ इंच या चार सेन्टीमीटर हाशिए को छोड़कर लिखी हुई, टाइप की हुई, लिथोग्राफिक या अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो) मुद्रित होंगी, उस पर बड़े और सुस्पष्ट हस्ताक्षर होंगे और ऐसे किसी हस्ताक्षर के साथ जो सुस्पष्ट नहीं है या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य लिपि में लिखा गया है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम का प्रतिलेखन होगा।

(2) नियंत्रक द्वारा किसी भी समय अपेक्षा करने पर दस्तावेजों की अतिरिक्त प्रतियां कार्यालय में फाइल की जाएंगी।

(3) आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के पूरे नाम व पते के साथ ही उनकी राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियां यदि कोई है, जो पहचान के लिए आवश्यक हैं, दी जाएंगी।

8. धारा 5, 12, 19 और 37 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का सत्यापन और हस्ताक्षर :—

अधिनियम की धारा 5, 12, 19 और 37 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों पर तारीख डाली जाएगी और अन्त में हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनमें यह कथन होगा कि उममें कथित तथ्य और विषय, उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य है।

9. अधिकरण :—

अधिनियम की धारा 43 के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों के लिए आवेदक, जब तक कि नियंत्रक द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, अपने हस्ताक्षरों के अधीन अधिनियम की धारा 43 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अपने अधिकर्ता के रूप में कार्य करने और सभी सूचनाएं, अपेक्षाएं और संसूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। प्राधिकार, प्ररूप 22 में दिया जा सकेगा।

10. वस्तुओं का वर्गीकरण :—

(1) डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं को इसकी तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से वर्गीकृत किया जाएगा।

(2) यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है कि कोई विशिष्ट विवरण की वस्तु किस वर्ग में है, तो जहां कहीं भी अपेक्षित हो यह नियंत्रक द्वारा आवेदक के परामर्श से अवधारित किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन :—

11. आवेदन :—

(1) अधिनियम की धारा 5 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के साथ डिजाइन के रूपण की 4 प्रतियां होंगी और आवेदन तथा डिजाइन के रूपण की प्रत्येक प्रति पर आवेदक या उसके अधिकर्ता के द्वारा तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) आवेदन में वह वर्ग भी लिखा जाएगा जिसमें डिजाइन का रजिस्ट्रीकरण किया जाना है और यह वस्तु या वे वस्तुएं भी लिखी जाएंगी जिन पर डिजाइन का उपयोग किया जाना है।

- (3) यदि डिजाइन का वस्तु के एक से अधिक वर्ग में रजिस्टर करने की इच्छा की गई है, तो वस्तुओं के प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक् आवेदन किया जाएगा तथा आवेदन में पूर्व से प्रभावी रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रकरणों का संख्यांक या के संख्यांकों को अंतर्निहित किया जाएगा।
- (4) यदि नियंत्रक द्वारा अपेक्षा की गई हो, तो आवेदक उस प्रयोजन का कथन करेगा जिसके लिए वस्तु का उपयोग किया जाता है।

12. नवीनता का कथन :—

आवेदक, यदि किसी भी मामले में नियंत्रक द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा की जाती है तो आवेदन और प्रत्येक रूपण पर ऐसी नवीनता के संक्षिप्त कथन का पृष्ठांकन करेगा, जिसका वह अपने डिजाइन के लिए दावा करता है।

13. रूपण या नमूने की अतिरिक्त प्रतियां :—

यदि किसी मामले में नियंत्रक ऐसी अपेक्षा करता है तो आवेदन, आवेदक के साथ उपलब्ध कराए गए डिजाइन के रूपण या नमूनों की, एक या एक से अधिक प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

14. रूपण :—

(1) नियम 11 द्वारा अपेक्षित डिजाइन की चार प्रतियां, डिजाइन के यथावत समरूप रेखा चित्र, फोटो चित्र, अनुरेखन अथवा डिजाइन के अन्य रूपण या डिजाइन के नमूने होंगे।

(2) जब डिजाइन को किसी संवर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाना है तो आवेदन के साथ संलग्न प्रत्येक रूपण के ऐसे सभी विभिन्न इंतजाम प्रदर्शित करेगा, जिसमें डिजाइन को संवर्ग में सम्मिलित वस्तुओं पर प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

(3) डिजाइन का प्रत्येक रूपण, चाहे वह किसी एकल वस्तु या संवर्ग पर प्रयोग किए जाने के लिए हो, ए-4 आकार के मजबूत कागज पर (और कार्डबोर्ड पर नहीं) उसके एक ही ओर होगा। आकृति या आकृतियां शीट पर सीधी स्थिति में रखी जाएंगी। जब एक से अधिक आकृति प्रदर्शित हों, तो जहां तक संभव हो एक ही शीट पर प्रदर्शित की जाएंगी और प्रत्येक को अभिहित किया जाएगा (जैसे—परिदृश्य, अग्रदृश्य, पार्श्व दृश्य)।

(4) जब कोई डिजाइन किसी संवर्ग पर लागू किया जाना है, तो ऐसा कोई संदेह होने पर कि दी गई वस्तुएं संवर्ग में सम्मिलित हैं या नहीं, इसे नियंत्रक द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(5) यदि नियंत्रक की राय में कोई नमूना कार्यालय में अभिलेख के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वे रूपणों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(6) जहां शब्द, अक्षर या अंक डिजाइन में सारतः सम्मिलित नहीं हैं, रूपण या नमूनों से हटा दिए जाएंगे; जहां वे डिजाइन में सारतः सम्मिलित हैं, नियंत्रक उनके अनन्य उपयोग के किसी भी अधिकार के दावे के त्याग को अतः स्थापित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(7) डिजाइन के ऐसे प्रत्येक रूपण का, जिसमें पृष्ठीय पैटर्न की पुनरावृत्ति सम्मिलित हैं, सम्पूर्ण पैटर्न और लम्बाई और चौड़ाई की पुनरावृत्ति के पर्याप्त भाग को प्रदर्शित करेगा और यह 5×4 इंच या 13 सें. मी.×10से. मी. से कम आकार का नहीं होगा।

(8) यदि डिजाइन में जीवित व्यक्ति का नाम या रूपण है, तो नियंत्रक को, यदि वह ऐसी अपेक्षा करे तो डिजाइन रजिस्टर करने की कार्यवाही करने से पूर्व उस व्यक्ति की सहमति प्रस्तुत की जाएगी। मृत व्यक्ति की दशा में नियंत्रक, ऐसे डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही करने से पूर्व, जिस पर नाम या रूपण आते हैं, उसके विधिक प्रतिनिधियों से सहमति मांग सकेगा।

15. डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए व्यतिकार आवेदन :—

(1) डिजाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक व्यतिकार आवेदन में यह कथन होगा कि ऐसे डिजाइन के संबंध में जिसके लिए व्यतिकार आवेदन किया गया है, युनाइटेड किंगडम या अभिसमय देश या देशों के समूह या अन्तर शासनात्मक संगठनों में संरक्षण के लिए आवेदन किया जा चुका है और उसमें ऐसा देश या देशों के समूह या अन्तर शासनात्मक संगठन विनिर्दिष्ट होगा जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है और क्रमशः उनकी शासकीय तारीख या तारीखें दी जाएंगी। आवेदन, युनाइटेड किंगडम या अभिसमय देश या देशों के समूह या अन्तर शासनात्मक संगठन में किए गए प्रथम आवेदन की तारीख से छः माह के भीतर, उस व्यक्ति द्वारा, जिसने युनाइटेड किंगडम या अभिसमय देश या देशों के समूह या अन्तर शासनात्मक संगठन में आवेदन किया था या उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि या समुनदेशिती द्वारा अकेले या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(2) डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए प्रत्येक व्यतिकार आवेदन के साथ फाइल की गई डिजाइन के रूपण की चार प्रतियों के अतिरिक्त, यथास्थिति, आवेदक या हक का पूर्वाधिकारी, युनाइटेड किंगडम या अभिसमय देश या देशों के समूह या अन्तरशासकीय संगठनों में किए गए प्रथम आवेदन से संबंधित फाइल या जमा किए गए डिजाइन की, ऐसे कार्यालय के मुख्याधिकारी या ऐसे संगठन के प्रमुख द्वारा जिसमें यह फाइल या जमा किया गया था, द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित या नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में अन्य रूप से सत्यापित एक प्रति कार्यालय में व्यतिकार आवेदन करने के समय या तीन मास से अनधिक के ऐसे समय के भीतर जिसे नियंत्रक अनुज्ञात करे फाइल की जाएगी या दी जाएगी।

- (3) ऊपर कथित और नियम 30 में यथा उपबंधित के सिवाय किसी व्यतिकार आवेदन से संबंधित सभी कार्यवाहियां साधारण आवेदन के लिए इस अधिनियम या नियम के द्वारा अपेक्षित समय के भीतर और विहित रीति से की जाएंगी।

16. धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दावा किए गए जाने वाले दावों की रीति :—

- (1) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कोई दावा प्ररूप—2 में किया जाएगा।
- (2) नियंत्रक के निरीक्षण के लिए मूल समनुदेशन या करार या आवेदन में अधिकार हक या हित को प्रभावित करने वाले अन्य दस्तावेज या उनकी शासकीय या नोटरी से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी और नियंत्रक हक के ऐसे अन्य प्रमाण या लिखित सहमति जिसकी वह अपेक्षा करे, मंगा सकेगा।

17. स्वीकृति :—

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, नियंत्रक यदि वह यह मानता है कि रजिस्ट्रीकृत किए जा रहे डिजाइन के लिए परीक्षक की रिपोर्ट में कोई विधि पूर्ण आक्षेप नहीं हैं, तो वह उसे स्वीकार कर सकेगा।

18. आक्षेप :—

- (1) यदि धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन पर परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कि नियंत्रक को आवेदक के प्रतिकूल कोई आक्षेप प्रतीत होता है या आवेदन में कोई संशोधन अपेक्षित है तो आवेदक या उसके अभिकर्ता को लिखित में ऐसे आक्षेपों का एक विवरण भेजा जाएगा और जब तक आवेदक या उसका अभिकर्ता ऐसे आक्षेपों की संमूचना की तारीख से तीन मास के भीतर आक्षेपों को दूर नहीं करता या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने आवेदन वापिस ले लिया है ;

परन्तु यह कि ऐसे आक्षेपों को दूर करने की अवधि, आवेदन के फाईल करने की तारीख से 6 मास से अधिक नहीं होगी।

- (2) यदि आवेदक या उसका अभिकर्ता उपनियम (1) के अधीन आक्षेपों के विवरण की संमूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर सुनवाई के लिए आवेदन करता है या यदि नियंत्रक ऐसा करना वांछनीय समझता है तो वह, चाहे आवेदक ने अपना आवेदन पुनः फाइल किया हो या नहीं, नियम 21 के अधीन यथाउपबंधित के अनुसार आवेदन को पूर्ण करने के लिए बचे हुए समय को ध्यान में रखते हुए सुनवाई के लिए तारीख नियत कर सकेगा।
- (3) जब उपनियम (2) के अधीन सुनवाई की तारीख नियत कर दी जाती है तो आवेदक को ऐसे नियतन की सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व दी जाएगी या ऐसी कम अवधि की सूचना दी जाएगी, जो नियंत्रक मामले की परिस्थितियों में उचित समझे और आवेदक यथासंभव शीघ्र नियंत्रक को यह सूचित करेगा कि वह सुनवाई में उपस्थित हो रहा है या नहीं।
- (4) उपनियम (1), (2) और (3) के अधीन यथाअपेक्षित सुनवाई जब कभी संभव हो, दूरभाष पर भी अनुज्ञात की जाएगी, जिसके ब्यौरे बाद में टेलीफैक्स/ईमेल द्वारा प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
- (5) आवेदक को सुनने के पश्चात् या यदि आवेदक उपस्थित नहीं हुआ है या उसने सुनवाई की इच्छा सूचित नहीं है, तो उसे बिना सुने नियंत्रक, जैसा वह उचित समझे, डिजाइन रजिस्टर कर सकेगा या रजिस्टर करने से इन्कार कर सकेगा।

19. नियंत्रक का विनिश्चय :—

उपरोक्त सुनवाई में, नियंत्रक के विनिश्चय को आवेदक या उसके अभिकर्ता को लिखित में सूचित किया जाएगा, जिसमें विनिश्चय के आधारों और उस पर पहुंचने के लिए उसके द्वारा उपयोग की गई सामग्री अंतर्विष्ट होगी।

20. अपील के लिए तारीख :—

अपील के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख, जिसको विनिश्चय भेजा गया है, नियंत्रक के विनिश्चय की तारीख समझी जाएगी।

21. छह मास के भीतर पूरा न होना :—

ऐसा कोई आवेदन, जो आवेदक की उपेक्षा या व्यतिकार के कारण, जिसे आवेदन की तारीख से छह मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रभावी करने के लिए पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसे परित्यक्त समझा जाएगा।

22. धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की विशिष्टियों का प्रकाशन :—

किसी आवेदन के संबंध में फाईल किए गए डिजाइन की स्वीकृति पर नियंत्रक रजिस्ट्रीकरण करने और राजपत्र में, आवेदन की विशिष्टियों और ऐसी वस्तुओं के रूपण जिस पर डिजाइन लागू किया गया है प्रकाशित करने के लिए निदेश देगा। राजपत्र में प्रकाशन के समय नियंत्रक, डिजाइन के रूपण के एक या अधिक दृश्यों को, जो उसकी राय में डिजाइन को उत्कृष्ट रूप से चित्रित करते हैं, चुन सकेगा।

23. धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने की रीति :—

धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन प्ररूप—3 में किया जाएगा।

24. डिजाइन का प्रत्यावर्तन :—

(1) धारा 12 के अधीन डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन प्ररूप—5 में किया जाएगा।

(2) आवेदन पर विचार करने पर और डिजाइन के स्वत्वधारी द्वारा पेश किए गए किसी साक्ष्य पर यदि कोई हो विचार करने पर, यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो तदनुसार डिजाइन के स्वत्वधारी को संसूचित करेगा और जब तक ऐसी संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर स्वत्वधारी मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध नहीं करता है तो नियंत्रक, आवेदन को अस्वीकार करेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी अनुज्ञात समय के भीतर सुनवाई के लिए अनुरोध करता है और नियंत्रक का, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को ऐसी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाता है कि प्रतिलिप्याधिकार का विस्तार करने के लिए दी जाने वाली फीस के संदाय में चूक अनाशयित थी तो नियंत्रक प्रत्यावर्तन के आवेदन को अनुज्ञात करेगा।

25. असंदत विस्तारण फीस का संदाय :—

(1) यदि नियंत्रक रजिस्ट्रीकृत डिजाइन के स्वत्वधारी के पक्ष में विनिश्चय करता है, तो स्वत्वधारी, डिजाइन के विस्तारण के लिए असंदत फीस और प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त फीस का नियंत्रक द्वारा स्वत्वधारी को डिजाइन का प्रत्यावर्तन अनुज्ञात करने के आदेश की तारीख से एक मास के भीतर संदाय करेगा।

(2) नियंत्रक प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर अपने विनिश्चय को राजपत्र में विज्ञापित करेगा।

वस्तुओं का चिन्हांकन

26. विक्रय पर वस्तुओं को परिदान से पूर्व चिन्हांकित करना :—

ऐसी वस्तुओं के विक्रय के, जिन पर रजिस्ट्रीकृत डिजाइन लागू किया जा चुका है परिदान से पूर्व, ऐसे डिजाइन का स्वत्वधारी ऐसी प्रत्येक वस्तु पर रजिस्ट्रीकृत शब्द या संक्षिप्त रूप रजि. या संक्षिप्त रूप "आर डी" से जिसे कि वह पसंद करे, चिन्हांकित कर सकेगा और साथ ही (ऐसी वस्तुएं जो कोमल या भंगुर प्रकृति की हैं, के मामले के सिवाय जिन पर वस्तुओं के विभिन्न वर्गों के रजिस्ट्रीकृत डिजाइन लागू होते हैं) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दिए गए संख्याओं को भी चिन्हांकित करेगा।

परन्तु यह कि ये इस नियम और अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं से निम्नलिखित के मामलों में अभिमुक्ति प्रदान की गई है :—

- (i) रूमाल से भिन्न, टैक्सटाइल माल जिस पर डिजाइन मुद्रित या व्युत्पन्न है; और
- (ii) तारकोल के बुरादे से निर्मित वस्तुएं जो कि भंगुर हैं और जिनका एकल नग के रूप में विक्रय नहीं किया जाता है।

निरीक्षण और तलाशियां

27. डिजाइन का निरीक्षण :—

रजिस्ट्रीकृत डिजाइन, उक्त डिजाइन के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और डिजाइन के रूपण के साथ आवेदन का निरीक्षण प्ररूप-5 में अनुरोध करके किया जा सकेगा।

28. धारा 18 के अधीन तलाशी :—

- (1) अधिनियम की धारा 18 में यथाविनिर्दिष्ट जानकारी के लिए अनुरोध किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्ररूप-6 में, फीस की अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ किया जा सकेगा और उसमें जिस डिजाइन के बारे में जानकारी अपेक्षित है, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक अंतर्विष्ट किया जाएगा।
- (2) यदि आवेदक डिजाइन का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक देने में असमर्थ है तो वह नियंत्रक को ऐसी जानकारी के, जो उसके पास है, प्ररूप-7 में अनुरोध करेगा और नियंत्रक उस पर प्रदिशत श्रेणी और उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर यथा संभव तलाशी करेगा और ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो अभिप्राप्त हो सके। जहां डिजाइन के रूपण या नमूनों के साथ प्ररूप-7 लगा है वहां ऐसे रूपण या नमूने दो प्रतियों में दिए जाएंगे।

रददकरण

29. धारा 19 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण का रददकरण :—

- (1) डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रददकरण के लिए नियंत्रक को दी जाने वाली याचिका प्ररूप-8 में दो प्रतियों में की जाएगी और जिसके साथ दो प्रतियों में एक विवरण लगा होगा जिसमें आवेदक के हित की प्रकृति और वे तथ्य होंगे जिनपर उसका आवेदन आधारित है।
- (2) यदि डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रददकरण के लिए याचिका, ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी नहीं है तो नियंत्रक के द्वारा याचिका की एक प्रति कथन के साथ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को भेजी जाएगी।
- (3) यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी आवेदन के विरोध का आशय रखता है तो वह नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर आवेदन का प्रतिकथन, जिसमें ऐसे आधार दिए होंगे, जिन पर वह आवेदन का विरोध करने का आशय रखता है कार्यालय में देगा और उसी समय के भीतर आवेदक को प्रतिकथन की एक प्रति देगा।
- (4) आवेदक, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के प्रतिकथन प्राप्त होने के पश्चात् अपने मामले के समर्थन में शपथ पत्र द्वारा कार्यालय को साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और उसकी प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को भी देगा।
- (5) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी आवेदक के साक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात् अपने मामले के समर्थन में शपथ पत्र द्वारा कार्यालय में साक्ष्य जमा कर सकेगा और साथ ही उसकी एक प्रति आवेदक को भी देगा।
- (6) आवेदक, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के साक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात् उसका उत्तर शपथ पत्र के द्वारा कार्यालय में दे सकेगा और ऐसे साक्ष्य की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को भी देगा।
- (7) साक्ष्य का कोई अन्य कथन किसी भी पक्षकार के द्वारा नियंत्रक की अनुमति या अध्यापेक्षा किए जाने के सिवाय नहीं दिया जाएगा।
- (8) जहां कोई दस्तावेज अंग्रेजी के सिवाय किसी अन्य भाषा में है और धारा 19 के अधीन की गई याचिका या उसके विरोध के संबंध में फाइल किए गए किसी कथन या साक्ष्य में निर्दिष्ट है तो उसके अंग्रेजी अनुवाद की दो अनुप्रमाणित प्रतियां दी जाएंगी।
- (9) प्रतिकथन फाइल करने या साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात समय साधारणतः एक मास होगा जिसे नियंत्रक पक्षकार द्वारा समय विस्तार के लिए की गई याचिका पर विशेष आदेश द्वारा दे सकेगा :

परन्तु यह कि किसी भी मामले में समय में इस प्रकार किया गया विस्तार कुल तीन मास से अधिक नहीं होगा।

- (10) उपनियम (3) से (8) में विनिर्दिष्ट कथन और साक्ष्य के पूर्ण रूप से फाइल होने पर या किसी ऐसे अन्य समय जिसे नियंत्रक विनिश्चित करे, वह रददकरण याचिका की सुनवाई नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सुनवाई की दस दिन से अन्यून की सूचना देगा।
- (11) यदि दोनों में से कोई पक्षकार यह चाहता है कि उसे सुना जाए, वह नियंत्रक को प्ररूप-20 में सुनवाई में उपस्थित होने के आशय की सूचना देगा।
- (12) यदि सुनवाई के समय दोनों में कोई पक्षकार किसी प्रकाशन को निर्दिष्ट करने का आशय रखता है तो वह नियंत्रक या अन्य पक्षकार को ऐसे प्रकाशन के ब्यौरे के साथ, जिसे वह निर्दिष्ट करना चाहता है, ऐसे आशय की 5 दिन से अन्यून की सूचना देगा।
- (13) ऐसे पक्षकार या पक्षकारों को, जो सुने जाने की इच्छा रखते हैं, सुने जाने के पश्चात् या यदि दोनों में से कोई पक्षकार सुनवाई का या उममें उपस्थित रहने का इच्छुक नहीं है तो बिना सुनवाई के, नियंत्रक याचिका और विरोध पर, यदि कोई हो, विनिश्चय करेगा और विनिश्चय पक्षकारों को सूचित करेगा।

साधारण

डिजाइनों का रजिस्टर

30. डिजाइन रजिस्टर करना :—

- (1) डिजाइन मंजूर किए जाने की दशा में, अधिनियम द्वारा अपेक्षित विशिष्टताओं के अतिरिक्त डिजाइन रजिस्टर में डिजाइन का संख्यांक, वर्ग जिसमें उसे रजिस्टर किया गया है, इस देश में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख, आदान प्रदान नीति की तारीख, यदि कोई है, रजिस्ट्रीकरण के लिए दावा, और ऐसी अन्य बातों की, जिनसे डिजाइन की विधिमान्यता और स्वत्वधारी पर प्रभाव पड़ सकता है, प्रविष्टि की जाएगी।
- (2) ऐसे डिजाइन रजिस्टर का अनुरक्षण कंप्यूटर पर फलापी या डिस्कट में पूर्णतः या भागतः किए जाने की दशा में, कंप्यूटर फलापी या डिस्कट का अनुरक्षण नियंत्रक के अधीक्षण और नियंत्रणाधीन किया जाएगा और डिजाइन की जानकारी के संबंध में कोई विवाद या मंद्दह होने की दशा में बैकअप फाइल या मास्टर फाइल में यथा अंतर्विष्ट जानकारी अंतिम होगी।

- (3) स्वीकृत डिजाइन के संबंध में आदान-प्रदान नीति की तारीख मंजूर किए जाने की दशा में, प्रतिलिप्याधिकार का रजिस्ट्रीकरण, विस्तार या अवसान आदान-प्रदान नीति की तारीख से संगणित किया जाएगा।
31. पते में परिवर्तन.—रजिस्ट्रीकृत डिजाइन का स्वत्वधारी डिजाइन रजिस्टर में अपने नाम, या पते, या सेवा के लिए पतों में परिवर्तन के लिए प्ररूप 22 में नियंत्रक से अनुरोध कर सकेगा। नियंत्रक अनुरोध करने पर कार्यवाही करने से पूर्व, इस प्रकार अनुरोधित परिवर्तन के लिए ऐसे सबूत की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उचित समझे और समाधान हो जाने पर, नियंत्रक रजिस्टर में तदनुसार परिवर्तन कारित करेगा।
32. दस्तावेजों का धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण.—धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन प्ररूप 10 में किया जाएगा।
33. पश्चातवर्ती स्वत्वधारी की प्रविष्टि के लिए आवेदन.—धारा 30 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन नियंत्रक को यथास्थिति, प्ररूप-11 या प्ररूप-12 या प्ररूप 13 में किया जाएगा।
34. आवेदनों में विशिष्टियां :—नियम 33 के अधीन आवेदन में उस व्यक्ति का जो हकदार होने का दावा करता है, नाम, पता और राष्ट्रिकता के साथ-साथ लिखत यदि कोई है, जिसके अधीन वह दावा करता है, की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।
35. हक के दस्तावेज और अन्य सबूत पेश करना.—नियम 33 के अधीन दावे के रूप में अंतर्विष्ट प्रत्येक समनुदेशन, और प्रत्येक अन्य दस्तावेज को, जो या तो रजिस्ट्रीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्याधिकार के संचरण का साक्ष्य होने के कारण उसे प्रभावित करता है या उसकी स्वत्वधारिता पर प्रभाव डालता है या उसमें हित सृजित करता है, जब तक नियंत्रक अन्यथा निदेश न करे, उसके समक्ष आवेदन के साथ या तो मूल प्रति, या नोटेरी से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए और वह, अपने समाधान के लिए, हक के ऐसे अन्य सबूत या लिखित सम्मति की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
- परंतु ऐसे दस्तावेज की दशा में, जो लोक दस्तावेज हैं, उसकी शासकीय या प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है।
36. नियम 34 के अधीन अनुरोध पर, रजिस्टर में की जाने वाली प्रविष्टि निम्नलिखित प्ररूप में होगी :—
- “ [.....]
- स्वत्वधारियों
- अनुज्ञप्तिधारियों
- बंधकदारों आदि के रूप में रजिस्ट्रीकृत
- समनुदेशन
- अनुज्ञप्ति
- बंधक विलेख के आधार पर
- आदि
- और तारीख.....को एक पक्षकार के रूप में
- और दूसरे पक्षकार के रूप में
- के बीच किए गए।
- पर प्राप्त आवेदन के अनुसरण में”
37. दस्तावेजों संबंधी अधिसूचना की प्रविष्टि.—किमी रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की स्वत्वधारिता को प्रभावित करने के लिए तात्पर्यित किमी दस्तावेज की अधिसूचना (जो पहले से निकाली नहीं गई है) की डिजाइन रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन के साथ दस्तावेज की सत्यापित प्रति लगाई जाएगी, जिस प्रकार नियंत्रक निदेश करे उक्त प्रति की सत्यता प्रमाणित की जाएगी तथा यदि और सत्यापन के लिए आवश्यकता है तो कार्यालय में उमी समय दस्तावेज की मूल या नोटेरी द्वारा सत्य प्रति पेश करनी और देनी होगी।
38. रजिस्टर निरीक्षण के घंटे.—पब्लिक के निरीक्षण के लिए डिजाइन रजिस्टर हर समय जिस दिन कार्यालय पब्लिक के लिए खुला हो, और ऐसे समय को छोड़कर जब कार्यालय प्रयोग के लिए उनकी वस्तुतः आवश्यकता है, खुला रहेगा।
39. रजिस्टर की परिशुद्धि.—यदि अधिनियम की धारा 31 के अधीन डिजाइन रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए कोई आवेदन किया गया है, तो नियंत्रक सभी व्यक्तियों को, जिनके नामों की डिजाइन में किसी हित का दावा करते हुए आवेदन के समय रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी, सूचित करेगा और आवेदन राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

40. **परिशुद्धि का विरोध**—(1) डिजाइन रजिस्टर में परिशुद्धि के प्रति विरोध की सूचना परिशुद्धि के लिए आवेदन के प्रकाशन से तीन मास के भीतर दी जा सकेगी।

- (2) विरोधकर्ता, विरोध की सूचना दिए जाने के चौदह दिन के भीतर, कार्यालय में, अपने हित की प्रकृति, वे तथ्य बताते हुए जिन पर उसका विरोध आधारित है, और उपचार जो वह चाहता है दो प्रतियों में अपना लिखित कथन प्रस्तुत करेगा।
- (3) नियंत्रक विरोध की सूचना और लिखित कथन प्रत्येक की एक प्रति आवेदक को देगा।
- (4) साक्ष्य छोड़ने और सुनवाई से संबंधित नियम 29 के उपनियम (4) से उपनियम (13) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, यथामंभव, धारा 31 के अधीन आवेदन की सुनवाई को लागू होगी जिस प्रकार वह धारा 19 के अधीन किसी याचिका की सुनवाई को लागू होती है।

प्रमाणपत्र

41. **दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ** :—नियंत्रक द्वारा डिजाइन रजिस्टर की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियाँ या कार्यालय में या रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों से दावात्मकता के प्रमाणित शपथपत्रों, घोषणाओं और अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ या उनसे उद्घरण विहित फीस का संदाय किए जाने पर प्रदान की जाएंगी।

42. **शपथपत्रों के प्ररूप, आदि**—(1) अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित या उनके अधीन किसी प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले शपथ पत्र, उस बात या उन बातों के, जिनसे वे संबंधित हैं शीर्ष पर होंगे, प्रथम पुरुष में तैयार किए जाएंगे और क्रम से संख्यांकित पैरा में विभाजित होंगे और यथासंभव, प्रत्येक पैरा एक विषय तक सीमित रहेगा। प्रत्येक शपथपत्र में उसे बनाने वाले व्यक्ति का विवरण और निवास के सही स्थान का कथन होगा, इसे देने वाले व्यक्ति का नाम और पता होगा और यह कथन होगा कि इसे किसकी ओर से दिया गया है।

(2) शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक सीमित होने चाहिए जिन्हें अभिसाक्षी अपनी जानकारी के अनुसार अंतवर्ती आवेदनों का छोड़कर सिद्ध कर सकता है, जिस पर उसके विश्वास रखने का कथन स्वीकार किया गया हो, परंतु यह कि उनके आधारों का वर्णन किया गया है।

(3) शपथपत्र निम्नलिखित रूप में शपथित होंगे :—

(क) भारत में,—किसी न्यायालय या व्यक्ति के समक्ष जिसे विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है या किसी अधिकारी के समक्ष जिसे उक्त न्यायालय या उपरोक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाने या शपथपत्र लेने के लिए शक्तियाँ दी गई हैं।

(ख) किसी देश में या भारत से बाहर स्थान पर, ऐसे देश के किसी स्थान पर राजनयिक और कौंसलरी आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के अर्थात्गत किसी राजनयिक या कौंसलरी कार्यालय के समक्ष या नौटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 14 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त देश के या स्थान के किसी नोटरी के समक्ष या देश के किसी स्थान के न्यायाधीश या मेजिस्ट्रेट के समक्ष।

(4) ऐसा व्यक्ति जिसके समक्ष शपथ पत्र पर ली जाती है, उस तारीख का जिसको और वह स्थान जहाँ पर शपथपत्र पर शपथ दिलाई जाती है उल्लेख करेगी और उस पर अपनी मुद्रा, यदि कोई हो लगाएगा या न्यायालय की मुद्रा लगाएगा। यदि शपथपत्र पर शपथ न्यायालय के समक्ष या उम न्यायालय द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष दिलाई जाती है।

(5) कोई शपथपत्र जिस पर उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति की मुद्रा या हस्ताक्षर लगाया जाना, छापित किया जाना या हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, उसके समक्ष शपथपत्र पर शपथ लिए जाने के परिसाक्ष्य में नियंत्रक द्वारा उस व्यक्ति की मुद्रा या हस्ताक्षर या शासकीय स्थिति की असलियत के प्रमाण के बिना स्वीकार की जा सकेगी।

(6) किसी शपथ पत्र पर शपथ दिलाए जाने या प्रतिज्ञान किए जाने से पहले परिवर्तन और अन्तर्खांकन ऐसे व्यक्ति के, जिसके समक्ष शपथ पत्र पर शपथ दिलाई जाती है, अद्याक्षरों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।

(7) जहाँ अभिसाक्षी निरक्षर नेत्रहीन या उस भाषा से अपरिचित है जिसमें शपथ पत्र लिखा जाता है तो वहाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके समक्ष शपथ पत्र पर शपथ दिलाई जाती है, इस आशय का प्रमाणपत्र कि अभिसाक्षी को उसकी उपस्थिति में शपथ पत्र पढ़कर सुनाया गया था, इसका अनुवाद किया गया था और स्पष्ट किया गया था और अभिसाक्षी से ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसे समझने के लिए सक्षम है और उसमें उसकी उपस्थिति में शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं या अपना चिह्न लगा दिया है शपथ-पत्र के अंत में संलग्न किया जाएगा।

(8) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में नियंत्रक के समक्ष फाइल किया गया, प्रत्येक शपथ-पत्र तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध के अधीन समयकतः स्टांपित किया जाएगा।

नियंत्रक द्वारा खर्चों का अधिनिर्णय

43. **खर्चों का मापपान**—नियंत्रक के समक्ष सभी कार्यवाहियों में, नियंत्रक, जब तक कि इस अधिनियम या इन नियमों द्वारा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, के सिवाय, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे खर्चों का अधिनिर्णय कर सकेगा जैसा वह युक्तियुक्त समझे। परंतु इन नियमों की चौथी अनुसूची में दिए गए किसी मामले की बाबत अधिनिर्णीत खर्चों की रकम इसमें विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी।

नियंत्रक की प्रकीर्ण शक्तियां

44. नियंत्रक की वैवैकिक शक्ति का प्रयोग, नियंत्रक की प्रकीर्ण शक्तियां—वह समय, जिसके भीतर सुने जाने के अवसर के लिए अधिनियम की धारा 33 के अधीन हकदार कोई व्यक्ति सुने जाने के अपने विकल्प का प्रयोग करता है, उस सूचना की तारीख से एक मास की अवधि होगी जिसे नियंत्रक मामले को अवधारित करने से पहले ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता को देगा जिसके प्रतिनिर्देश से ऐसा व्यक्ति सुने जाने का हकदार है। यदि ऐसा व्यक्ति या उसका अभिकर्ता उस मास के भीतर सुने जाने की अपेक्षा करता है, तो नियंत्रक सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा तथा इसकी दस दिन की सूचना देगा।

परन्तु यदि दस दिन की सूचना दिए जाने से सुनवाई से पूर्व डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन परिलक्ष्यत किया गया समझा गया है तो नियंत्रक सूचना की अवधि कम कर सकेगा।

45. नियंत्रक विवरण की अपेक्षा कर सकेगा—कोई आवेदक या अभिकर्ता सुने जाने की बांछा करे या नहीं, नियंत्रक किसी भी समय ऐसे समय के भीतर जो नियंत्रक द्वारा अधिसूचित किया जाए, लिखित रूप में एक विवरण प्रस्तुत करने की या उसके समक्ष हाजिर होने की और ऐसे मामलों की बाबत जिन की नियंत्रक अपेक्षा करे स्पष्टीकरण देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा।

46. संशोधन की साधारण शक्ति—संशोधन करने के लिए कोई दस्तावेज जिसका अधिनियम द्वारा कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है, संशोधित किया जा सकेगा और प्रक्रिया में किसी अनियमितता को जो नियंत्रक की राय में यदि नियंत्रक ठीक समझे और ऐसे निबंधनों पर जैसा वह निदेश दे, किसी व्यक्ति के हित को हानि पहुंचाए बिना दूर किया जा सकेगा, ठीक किया जा सकेगा।

47. समय बढ़ाने की साधारण शक्ति—कोई कार्य करने के लिए या तद्वीन कोई कार्यवाही करने के लिए इन नियमों द्वारा विहित किया गया समय नियंत्रक द्वारा, यदि वह ठीक समझे और ऐसे निबंधनों पर जैसा वह निदेश दे, बढ़ाया जा सकेगा।

निरसन

48. निरसन—डिजाइन नियम, 1933 को निरसित किया जाता है :

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को इन नियमों के अधीन संबन्धित कोई आवेदन या अन्य मामलों को इन नियमों के अधीन निपटाया जाएगा।

प्रथम अनुसूची

नियम 5 देखिए

फीस

प्रतिष्ठि की सं.	निम्नलिखित पर संदेय	प्रारूप की सं.	शुल्क (रुपए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 5 और धारा 44 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर	1	1000.00
2.	आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए धारा 8(1) के अधीन दावा करने पर	2	500.00
3.	धारा 11(2) के अधीन प्रतिलिपियाधिकार के विस्तार के लिए आवेदन	3	2000.00
4.	धारा 12(2) के अधीन व्यपगत डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	4	1000.00
5.	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस	—	1000.00
6.	धारा 17(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन का निरीक्षण	5	500.00
7.	धारा 18 के अधीन जब रजिस्ट्रीकरण सं. दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध करने पर	6	500.00
8.	जब रजिस्ट्रीकरण सं. न दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध पर	7	1000.00

(1)	(2)	(4)	(5)
9	भाग 19 के अधीन डिजाइन को रद्द करने के लिए यचिका पर	8	1500.00
10	भाग 21 के अधीन किसी अरजिस्ट्रीकृत डिजाइन के आर्शायत प्रदर्शन या प्रकाशन की सूचना	9	500.00
11	भाग 30(3) के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन एक डिजाइन की वाचत	10	500.00
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		200.00
12	भाग 30 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर के स्वत्वधारी या आंशिक स्वत्वधारी के नाम की परिवर्तित के लिए आवेदन पर	11	
	एक डिजाइन के संबंध में		500.00
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		200.00
13	भाग 30 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में बंधक या अनुज्ञप्ति की परिवर्तित के लिए आवेदन पर परिवर्तित के लिए आवेदन पर एक डिजाइन के संबंध में प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	12	
			500.00
			200.00
14	भाग 30 और नियम 38 के अधीन डिजाइन रजिस्टर में दस्तावेज की अधिसूचना की परिवर्तित के लिए आवेदन पर एक डिजाइन के संबंध में प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	13	500.00
			200.00
15	भाग 29 के अधीन लिपिकीय त्रुटि के मुद्धार के लिए अनुरोध पर	14	500.00
16	भाग 26 और नियम 41 के अधीन प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध पर	15	500.00
17	भाग 17(2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पर	16	500.00
18	भाग 31 के अधीन डिजाइन रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन पर	17	500.00
19	नियम 15 के अधीन पूर्णिकता दस्तावेज फाइल करने के विस्तार के लिए आवेदन पर	18	200.00
			(प्रतिमास)
20	नियम 10 के अधीन विराय की सूचना पर	19	100.00
21	नियम 29 और 40 के अधीन सूचनाई में उपस्थित होने के लिए आशय का सूचना	20	500.00
22	अभि कर्ता या अन्य व्यक्ति के प्राधिकार के लिए प्रमाण	21	-
23	नियम 31 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में नाम या पता या तामील के पते में परिवर्तन करने के लिए आवेदन	22	200.00
24	डिजाइन के रजिस्टर में डा पता की परिवर्तितियों के लिए अनुरोध	23	200.00
25	किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए नियम 48 के अधीन यचिका पर	--	500.00
26	भंग्य बहाने के लिए नियम 47 के अधीन यचिका		500.00
27	नियम 38 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर का निरीक्षण (प्रत्येक डिजाइन की वाचत)	—	250.00

द्वितीय अनुसूची

(नियम 6 देखें)

प्ररूपों की सूची

प्ररूप मं.	धारा या नियम	शीर्षक
1.	धारा 5 और धारा 44	पारम्परिक ठहराव के अधीन आवेदन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
2.	धारा 8(1)	आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए दावा
3.	धारा 11(2)	प्रतिलिप्याधिकार के विस्तार के लिए आवेदन
4.	धारा 12(2)	व्यपगत डिजाइनों के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन
5.	धारा 17(1)	रजिस्ट्रीकृत डिजाइनों का निरोक्षण
6.	धारा 18	जब रजिस्ट्रीकरण संख्यांक दिया गया हो तो सूचना के लिए अनुरोध
7.	धारा 18	जब रजिस्ट्रीकरण संख्यांक नहीं दिया गया हो तो सूचना के लिए अनुरोध
8.	धारा 19	डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए याचिका
9.	धारा 21	अरजिस्ट्रीकृत डिजाइन के आशयित पदर्शन या प्रकाशन की सूचना
10.	धारा 30(3)	डिजाइन रजिस्टर में किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
11.	धारा 30	रजिस्टर में स्वत्वधारी या आंशिक स्वत्वधारी के नाम को परिवर्तित करने के लिए आवेदन
12.	धारा 30	रजिस्टर में संघकय अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि के लिए आवेदन
13.	धारा 30 और नियम 37	रजिस्टर में किसी दस्तावेज की अधिसूचना की प्रविष्टि के लिए आवेदन
14.	धारा 29	लिपिकीय त्रुटि की शुद्धि के लिए अनुरोध
15.	धारा 26 और नियम 41	प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध
16.	धारा 17(2)	रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन
17.	धारा 31	रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन
18.	नियम 15	पूर्विकता वाले दस्तावेजों को फाटल करने के लिए समय के विस्तार के लिए आवेदन
19.	नियम 40	विरोध की सूचना
20.	नियम 29 धारा 40	मृतवादी में उपस्थित होने के आशय की सूचना
21.	धारा 43	अधिकारियों के लिए अधिकार का शक्ति
22.	नियम 31	रजिस्टर में नाम या पता या तामील के लिए पता परिवर्तित करने के लिए अनुरोध
23.	धारा 10	रजिस्टर में दो पतों की प्रविष्टियों के लिए अनुरोध

परूप ।

फीस 1000 रु.

'वर्ग की संख्या लिखिए।
'पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
लिखिए।

'बताएं कि रेखाचित्र
फोटो चित्र, अनुरेखण या
नमूनों में से क्या दिया गया है।

'वस्तु या वस्तुओं के नाम
जिनको डिजाइन लागू किया
जाना है या संवर्ग में अंतर्निष्ठ
प्रत्येक वस्तु का विवरण बताएं।

'इन शब्दों को काट दें यदि
पुर्व में रजिस्ट्रीकरण किया गया
है।

'जब तक भारत में तामील के
लिए पता नहीं दिया जाता है,
तब तक अनुरोध पर विचार
नहीं किया जा सकता।

आवेदक या पार्थिवृत
अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित
किया जाएगा।

डिजाइनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, धारा 5, 44

आप से अनुरोध है कि संलग्नक को

वर्ग सं. '----- में :-----
के नाम से

----- जो स्वत्वधारी(यों) होने का दावा करता है (करते हैं) रजिस्टर करें।

इस अनुरोध के साथ डिजाइन के वैसे ही-----
----- लगाएं।

डिजाइन '-----

----- को लागू किया जाना है।

डिजाइन 'वर्ग (वर्गों) में सं. 'के अधीन----- पूर्वतन
रजिस्ट्रीकृत है।

यूनाइटेड किंगडम या अभिसमय देश या देशों के समूह या अन्तरशासकीय संगठन में किए गए पहले आवेदन
के ज्यौरे।

(i) देश का नाम।

(ii) शासकीय तारीख।

(iii) शासकीय संख्यांक।

भारत में तामील के लिए पता ' निम्नलिखित है—

घोषणा—

आवेदक डिजाइन के स्वत्वधारी होने का आंर उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार
डिजाइन नया या मूल हैं।

तारीख 2001

(हस्ताक्षरित)-----

सेवा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता।

'यदि कोई पूर्वतन रजिस्ट्रीकरण या पार्थिवृत का दावा नहीं किया गया है तो शब्दों को काट दें।

एकल आवेदन या संयुक्त आवेदन के रूप में कार्यवाही
करने के लिए धारा 8(1) के अधीन दावा

परूप 2

में (या हम)।

फॉर्म SQ0/-रूप

अनुरोध करता है/करते हैं कि द्वारा बनाया गया का

1. दायाकर्ता का नाम, पता और राष्ट्रीयता बताएं।

डिजाइन में,-----

तारीख-----के लिए आवेदन दर-----

क नाम/नामों से कार्यवाही की जाए।

2 डिजाइन के आवेदक(कों) का नाम बताएं।

3. उम व्यक्ति(यों) का (पूरा) नाम, पता और राष्ट्रीयता जिसके नाम (नामों) से आवेदन पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

4. दस्तावेजों का विवरण ऐसे दस्तावेजों की तारीख, इसके पक्षकारों में/हमें

को बताते हुए तथा यहां किया गया दावा कैसे अभिप्रेत किया गया है-----

को दर्शाते हुए, विशिष्टियां बताएं।

क आधार पर डिजाइन के लिए आवेदक(कों) के रूप में कार्यवाही के लिए हकदार होने का दावा करते हैं।

5. दस्तावेज (प्रति) की प्रकृति बताएं।

और मयूत म में/हम उमके साथ-----परिपत्र कर रहा

है/रहें-----

भारत में ताम्य के लिए भरा, हमारा पता निम्नलिखित है-----

6. दायाकर्ता/दायाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए

7. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता बताएं।

तारीख-----

(हस्ताक्षर)*

8. आवेदक(कों) या उमके अधिकृत अधिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

म/हम

उपर्युक्त अनुरोध में मग्नमत हैं/हैं।

(हस्ताक्षर)

मेरा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

टिप्पण : जो लागू न हो उसे काट दें।

परूप 3

फॉर्म 2000: रूपए

प्रतिलिप्याधिकार का विस्तार करने के लिए आवेदन

धारा 11

1 डिजाइन संख्यांक भरें।

आपमें, अधोहस्ताक्षरी जो वर्ग'-----
में रजिस्ट्रीकृत डिजाइन संख्यांक'-----का
रजिस्ट्रीकृत ग्यत्वधारी हैं (हैं), आपमें पांच वर्ष की अवधि के लिए
प्रतिलिप्याधिकार की अवधि का विस्तार करने का अनुरोध करता है/करते
हैं।

2 वर्ग भरें।

भारत में तामील के लिए पता निम्नलिखित है :—

तारीख-----मास

-----वर्ग

3 आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।

(हस्ताक्षरित)'-----

मेरा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

परूप 4

फॉर्म 1000: रूपए

धारा 12(2) के अधीन डिजाइन के पत्यावर्तन के लिए आवेदन

[नियम 24 देखें]

1. आवेदक(को) का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें।

मैं/(या हम)'-----
-----के
डिजाइन सं.-----के पत्यावर्तन के लिए
नियंत्रक के आदेश के लिए आवेदन करता हूँ।

2. वह अंतिम तारीख बताएं जब फॉर्म देय थी।

तारीख-----को-----पदान किया गया

3. आवेदक (आवेदकों) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए यदि आवेदक
भारत से बाहर हैं/हैं तो किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित
किया जाए।

वे परिस्थितियां जिनके कारण तारीख-----
को या इसमें पहले -----की विस्तार
फॉर्म का संदाय न हो सका निम्नलिखित है :—

मैं यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने हमने डिजाइन का समनुदेशन
किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को नहीं किया है और इसमें कथित तथ्य
और विषय में हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार
सत्य हैं।

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :-----

तारीख-----

(हस्ताक्षर)'-----

मेरा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

टिप्पण : जो लागू न हों काट दें।

प्ररूप 5

फॉर्म 500/ रूपए

1. नाम और पता तथा राष्ट्रीयता भरें।
2. डिजाइन का संख्यांक और वर्ग भरें।

3. आवेदक या प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

प्ररूप 6

फॉर्म 500/-रूपए

1. डिजाइन का संख्यांक भरें।

2. आवेदक या प्राधिकृत अधिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

प्ररूप 7

फॉर्म 1000 रूपए

1. वर्ग का संख्यांक भरें।

2. आवेदक या प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

धारा 17 (1) के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध

मैं/हम ¹-----
 वर्ग ²-----में
 डिजाइन संख्या ²-----का
 निरीक्षण करने के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं क्योंकि मैं/हम डिजाइन
 अधिनियम, 2000 की धारा 17 (1) के अधीन हकदार हूँ/हैं।
 भारत में तामील के लिए पता निम्नलिखित है-----

तारीख-----

(हस्ताक्षर)³-----
 मेधा में,
 डिजाइन नियंत्रक,
 पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता।

धारा 18 के अधीन तलाशी के लिए अनुरोध

जब रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रदाय किया जाता है।
 मैं अनुरोध करता हूँ कि मुझे ऐसी जानकारी दी जाए जिसके लिए मैं नीचे
 दिए गए रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की बाबत डिजाइन अधिनियम, 2000 की
 धारा 18 के अधीन हकदार हो सकूंगा मैं।¹-----
 भारत में तामील के लिए पता निम्नलिखित है-----

तारीख-----

(हस्ताक्षर)²-----
 मेधा में,
 डिजाइन नियंत्रक,
 पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता।

धारा 18 के अधीन तलाशी के लिए अनुरोध

जब रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रदान नहीं किया गया है।
 मैं अनुरोध करता हूँ कि डिजाइन (दो पतियों में संलग्न है) की बाबत¹-----
 ----- वर्ग में तलाश किया जाए और मैं अनुरोध करता
 हूँ कि मुझे ऐसी जानकारी दी जाए जिसके लिए मैं नीचे दिए गए रजिस्ट्रीकृत
 डिजाइन की बाबत डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 18 के अधीन
 हकदार हो सकूंगा ।

भारत में तामील के लिए पता निम्नलिखित है-----

तारीख-----

(हस्ताक्षर)²-----
 पता
 मेधा में,
 डिजाइन नियंत्रक,
 पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता।

परूप 8

फॉर्म 1500 रूपए

धारा 19 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए याचिका

धारा 19

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें। डिजाइन संख्यांक ----- वर्ग ----- में (या हम) ----- आवेदन करता हूँ (करते हैं) कि ----- वर्ग में डिजाइन में ----- का, रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित आधारों पर रद्द कर दिया जाए।

2. जब लागू न हो तो काट दें

(1) * डिजाइन भारत में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है

(2) * रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पहले ही, भारत में प्रकाशित किया गया था।

(3) * ----- (4) * -----

(5) * -----

भारत में तामील का पता निम्नलिखित हैं -----

3. आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

तारीख -----

हस्ताक्षर) -----

सेवा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

परूप 9

फॉर्म 500 रूपए

अरजिस्ट्रीकृत डिजाइन के प्रकाशन के आशयित प्रदर्शन की सूचना। धारा 21

1. नाम और पता पूरा लिखिए।

में मैं (या हम) -----

अपने (या हमारे) आशय की सूचना देना हूँ/ देते हैं—

में डिजाइन अधिनियम 2000 के नियमों के अधीन -----

में स्थित प्रदर्शनी में जा ----- तारीख को आरंभ हुई है या ----- को आरंभ होगी ----- का प्रदर्शन करने की,

2. बताएं कि आरंभ हुई है या आरंभ होता है

(ख) ----- पर -----

के समक्ष लेख पढ़ कर ----- के लिए अपने (या हमारे) डिजाइन को प्रकाशित करने की या गोपनीयता संरक्षण (-----) में लेख के प्रकाशन की अनुज्ञा देने की सूचना देना हूँ/ देते हैं।

3. नाम और पता भर।

4. संव्यवहार का शासकीय नाम कोटक में भरें।

संस्थापकों के संव्यवहार के कारण पत्रों का प्रकाशन

5. डिजाइन का संक्षिप्त विवरण या डिजाइन के स्केच,

में (या हम) वहाँ अपना (या हमारे) -----

एवं चित्र या नमूने संलग्न कीजिए।

संक्षिप्त विवरण संलग्न करता हूँ (करते हैं)।

तारीख -----

6. आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

(हस्ताक्षर) -----

सेवा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

प्ररूप 10

फीस**

डिजाइन के रजिस्टर में दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

धारा 30 (3)

- 1 पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें। मैं/(या हम)-----
- 2 दस्तावेज की प्रकृति और इसके पक्षकारों और इसके निष्पादन की तारीख बताएं। ऐसे दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ (करते हैं) जिसके व्यौरे,-----को प्रदान किए गए तारीख-----के डिजाइन संख्यांक (संख्याकों)-----की यावत नीचे दिए गए हैं और जिसके डिजाइन के स्वत्वधारी, डिजाइन के रजिस्टर में-----हैं :
- 3 आवेदक (आवेदकों) या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएं। तारीख-----
- (हस्ताक्षर)-----
- सेवा में,
- डिजाइन नियंत्रक,
- पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

1. यदि आवेदन एक से अधिक डिजाइन के संबंध में है, तो उसके संख्यांक और अन्य अपेक्षित विनिर्दिष्ट पृथक अनुसूची में दी जाएं। इस उम्र पररूप के साथ संलग्न करना चाहिए।

* एक डिजाइन के संबंध में 500 रु.

पल्लक अतिरिक्त डिजाइन के लिए 200 रु.

प्ररूप 11

फीस**

डिजाइन के रजिस्टर में स्वत्वधारी या आंशिक स्वत्वधारी के नाम की परिवर्तन के लिए आवेदन

धारा 30

- 1 पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें। मैं/(या हम)-----
- स्वत्वधारी (या व्यक्तियों) का नाम और पता दीजिए आवेदन करता हूँ/करते हैं की आप रजिस्ट्रीकृत डिजाइन (डिजाइनों) में,-----के 2 को प्रदान किए गए-----के स्वत्वधारी जिसे डिजाइन दिया गया है-----के रूप में डिजाइनों के रजिस्टर में मेरा (या हमारा) नाम (नामों) का परिवर्तन करेंगे।
- 2 ऐसे दस्तावेज जिसमें इसकी तारीख और इसके पक्षकार और यह दर्शाते हुए कि किया गया गया कैसे अभिप्रेत किया गया है कि विनिर्दिष्ट करें। मैं/(या हम)-----के आधार पर हकदार होने का दावा करते हैं।

और मैं (या हम) संलग्न-----¹ को जिसे प्रमाण में इसकी अनुप्रमाणित प्रति-----के साथ पारेषित करता हूँ। (करते हैं)।

भारत में तामील के लिए मेरा या हमारा पता निम्नलिखित है-----

तारीख-----
(हस्ताक्षर)⁵

¹ दस्तावेजों की प्रकृति भरें।

⁵ आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

सेवा में,
डिजाइन नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

टिप्पण : यदि आवेदन एक से अधिक डिजाइन के संबंध में है, तो उसके संख्यांक और अन्य अपेक्षित विशिष्टियां पृथक अनुसूची में दी जाएं जिसे इस प्ररूप के साथ संलग्न करना चाहिए।

**एक डिजाइन के संबंध में 500 रु.

प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए 200 रु.

प्ररूप 12

फीस**

डिजाइन के रजिस्टर में बंधक या अनुज्ञप्ति की प्रकृष्टि के लिए अनुरोध:

धारा (30)

¹ पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें।

मैं/(या हम)¹-----

आवेदन करता हूँ/करते हैं कि आप निम्नलिखित² हित की सूचना डिजाइन रजिस्टर में प्रकृष्ट करें।

² दावे की प्रकृति चाहे वह बन्धक या अनुज्ञप्ति के रूप में हों, भरे।

मैं (या हम)-----² हित के हकदार होने का दावा करते हैं।-----

रजिस्ट्रीकृत डिजाइन संख्यांक (संख्यांकों*) -----
वर्ग-----के³ आधार पर हित के हकदार होने का दावा करते हैं और जिसके प्रमाण में, मैं (या हम) जिसकी अनुप्रमाणित प्रति भेज रहा हूँ/भेज रहे हैं।

³ ऐसे दस्तावेज जिसमें इसकी तारीख और इसके पक्षकार और यह दर्शाते हुए कि किया गया दावा कैसे अभिपुष्ट किया गया है कि विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें।

भारत में तामील के लिए मेरा (या हमारा) पता निम्नलिखित है :-----

⁴ दस्तावेजों की प्रकृति भरें।

तारीख-----

⁵ आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित

(हस्ताक्षर)⁵

सेवा में,
डिजाइन नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

टिप्पण : यदि आवेदन एक से अधिक डिजाइन के संबंध में है, तो उसके संख्यांक और अन्य अपेक्षित विशिष्टियां पृथक अनुसूची में दी जाएं जिसे इस प्ररूप के साथ संलग्न करना चाहिए।

**एक डिजाइन के संबंध में 500 रु.

प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए 200 रु.

प्ररूप 13

फीम**

डिजाइन के रजिस्टर में दस्तावेजों की अधिसूचना के लिए आवेदन

धारा 30 और नियम 37

1 दस्तावेज की प्रकृति का विवरण, उसकी तारीख और उसके पक्षकारों के नाम, पते और राष्ट्रीयता भरे।

मैं/(या हम)-----के
डिजाइन संख्यांक (संख्यांकों)-----के
-----वर्ग के अधीन'-----की अनुप्रमाणित प्रति
और स्थापन हेतु मूल दस्तावेज पारेषित करता हूँ/करते हैं और मैं (या हम)
आवेदन करता हूँ/(करते हैं) कि उस अधिसूचना को रजिस्टर में दर्ज कर लिया
जाए।

2 दस्तावेज के अधीन पक्षकार का पूरा पता लिखें।

2-----

3 आवेदक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

तारीख-----200.....
(हस्ताक्षर)¹

सेवा में,
डिजाइन नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

टिप्पण : फीम :--

* एक डिजाइन की याचत में 500 रु.

प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए 200 रु.

प्ररूप 14

फीम 500 रु.

लिपिकीय त्रुटि के संशोधन के लिए अनुरोध

धारा 29

1 पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरे।

मैं/(या हम)'-----

अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि निम्नलिखित लिपिकीय त्रुटि/त्रुटियों-----
-----।

2 दस्तावेज विनिर्दिष्ट करें जिसमें त्रुटियां होती हैं।

जो-----के-----
संख्यांक'-----में हैं, इससे उपाबद्ध
मूल-----की शासकीय प्रति में लाल म्याही में दर्शित रीति
में संशोधन किया जाए।

भारत में तामील के लिए सेवा (या हमारा) पता निम्नलिखित है-----

आवेदक या प्राधिकृत अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

तारीख-----

(हस्ताक्षरित)

सेवा में,
डिजाइन नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

प्ररूप 15

फीस 500 रु.

धारा 26 और नियम 41 के अधीन प्रमाणित प्रति के लिए अनुरोध

धारा 41

1 डिजाइन का संख्यांक व वर्ग भरे।

डिजाइन संख्यांक¹-----
वर्ग¹-----

2 नाम, पता और राष्ट्रीयता भरे।

मामले में
भैं (या हम)²-----

3 वे विशिष्टियां दीजिए जिनके लिए नियंत्रक से प्रमाणित करने का अनुरोध किया गया है।

अनुरोध करते हैं कि आप मुझे (या हमें)-----
को इस प्रभाव के कि----- अपने प्रमाण पत्र³ के
साथ प्रस्तुत करें।और [-----] को प्रमाण पत्र भेजें वह प्रयोजन
जिसके लिए प्रमाणपत्र अपेक्षित है, निम्नवत हैं :-----

4 आवेदक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

तारीख-----

(हस्ताक्षरित)⁴

सेवा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

प्ररूप 16

फीस 500 रु.

रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन

धारा 17(2)

1 नाम, पता और राष्ट्रीयता भरे।

मैं/हम¹-----

अनुरोध करता हूँ/करते हैं मुझे/हमें निम्नलिखित डिजाइन की प्रमाणित प्रति दी जाए।

2 डिजाइन का संख्यांक और वर्ग भरे।

डिजाइन सं. ²-----
वर्ग-----

नाम से।

3 डिजाइन के स्वत्वधारी का नाम भरे।

भारत में तामान के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है-----

4 आवेदक (आवेदकों) या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

तारीख-----

(हस्ताक्षरित)⁴

सेवा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

प्ररूप 17

फीस 500 रु.

रजिस्टर की परिशुद्धि

धारा 31 के अधीन

1 नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें।

में (या हम)¹-----

2 संख्यांक और तारीख लिखिए।

अनुरोध करता हूँ (करते हैं) कि डिजाइन संख्यांक²-----
-----तारीख-----के संबंध

में निम्नलिखित रूप से डिजाइन रजिस्टर की परिशुद्धि की जाए :-----

मेरे (या हमारे) यह आवेदन करने के कारण निम्नलिखित हैं-----

में (या हम) घोषणा करता हूँ (करते हैं) कि इसमें कथित तथ्य और विषय मेरे
(या हमारे) सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

भारत में तामील के लिए मेरा या हमारा पता निम्नलिखित है :-----

3 आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता
द्वारा हस्ताक्षरित

तारीख-----

(हस्ताक्षरित)³

सेवा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

प्ररूप 18

फीस ०

समय विस्तार के लिए आवेदन

नियम 15 देखिए।

1 पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें।

में/हम/-----

2 डिजाइन आवेदन का संख्यांक और वर्ष कोट कीजिए।

माम के समय के विस्तार के लिए आवेदन करता हूँ (करते हैं) कि नियम 15 के
अधीन ब्रिटिश या अभिसमय देशों के समूहों या अंतर शासनात्मक संगठनों में
डिजाइन आवेदन संख्यांक²-----के संबंध में आवेदन के
साथ प्रमाणित प्रति फाइल करने के लिए, ----- आवेदन करता हूँ/करते हैं।
इस आवेदन का करने के निम्नलिखित कारण हैं-----आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता
द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

तारीख-----

(हस्ताक्षरित)³

सेवा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, कलकत्ता।

प्ररूप 19

फीस 100 रु.

विरोध की सूचना

(नियम 40 देखें)

(दो प्रति में प्रस्तुत करें)

1 आवेदक या आवेदकों का पूरा नाम और पता भरें।

मैं (या हम)¹-----

अपने (या हमारे) विरोध के आशय की सूचना देते हैं

2 संख्यांक और तारीख भरें।

नियम 40 के अधीन, डिजाइन संख्यांक'-----

जो'----- द्वारा फाइल किया गया है-----

को प्रदत्त किया गया है,----- के नाम या

(नामों) से रजिस्ट्रीकृत है, की बाबत डिजाइन की परिशुद्धि

3 आवेदक, प्राप्तकर्ता या स्वत्वधारी का नाम भरें।

4 मामले के आधारों और तथ्यों का संक्षिप्त कथन भरें।

विरोध के आधार निम्नलिखित हैं" :-----

5 आवेदक (आवेदकों) या प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नलिखित है :-----

प्ररूप 20

फीस 500 रु.

सुनवाई के लिए उपस्थित होने के आशय की सूचना

(नियम 29 और 40 देखें)

1 नाम (पूरा) पता और राष्ट्रीयता भरें

मैं (या हम)¹-----

2 निर्शापिकाएं भरें

सूचना देते हैं कि'-----

3 आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए

(हस्ताक्षरित)'

प्ररूप 21

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधीन
स्टॉपित किया जाए

¹ विशिष्टियां बताएं।

² अभिकर्ता का नाम और पता भरें।

³ जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।

⁴ अभिकर्ता का नाम लिखें जिसका
प्राधिकार रद्द किया गया है।

⁵ कार्यालय मुद्रा और हस्ताक्षरकर्ता
के पदनाम सहित आवेदक द्वारा
हस्ताक्षरित किया जाए।

प्ररूप 22

फीम 200 रु.

¹ (पूरा) नाम और पता भरें।

² नाम या पूरा पता भरें।

³ आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता के
द्वारा हस्ताक्षरित

अभिकर्ता के प्राधिकार की शक्ति

धारा 43

-----के संबंध में-----

मैं (या हम) -----

-----² को अपने (या
हमारे) अभिकर्ता के रूप में कार्य करने और अगली
सूचना प्राप्त हो जाने तक सभी सूचनाओं, अपेक्षाओं
और संसूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत
करता हूँ/करते हैं।

और मैं (या हम)³ मंरे (या हमारे) द्वारा -----
----- को दिए गए इस मामले में प्राधिकार -----

-----को

प्रतिबंधित करता हूँ/करते हैं।

तारीख -----

(हस्ताक्षरित) ⁴

सेवा में,

नियंत्रक, डिजाइन

पेटेंट कार्यालय,

कलकत्ता।

डिजाइन के रजिस्टर में पता या नाम या तामील के
लिए पता परिवर्तन करने की सूचना

नियम 31

डिजाइन संख्याक -----

वर्ग -----

के विषय में

मैं/(या हम)¹ -----

अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि डिजाइन रजिस्टर में
वर्तमान -----

----- नाम -----

----- पता -----

----- (या तामील के लिए पता -----)

निम्नलिखित में परिवर्तित कर दिया जाए।

² -----

भारत में तामील के लिए पता निम्नलिखित है

तारीख -----

(हस्ताक्षरित)³ -----

सेवा में,

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय,

कलकत्ता।

प्ररूप 23

फीस 200 रु.

डिजाइन रजिस्टर में तामील के लिए दो पतों की प्रविष्टि के लिए अनुरोध

धारा 10¹ (पूरा) नाम और पता भरें।

डिजाइन संख्यांक -----वर्ग-----
 के विषय में मैं (या हम)¹-----

 ----- अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि तामील के लिए डिजाइन रजिस्टर में निम्नलिखित दो पते प्रविष्टि किए जाएं।

² पूरा पता भरें।

(क)² -----

 (ख)² -----

³ आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

तारीख -----

(हस्ताक्षरित)³

सेवा में,
 डिजाइन नियंत्रक,
 पेटेंट कार्यालय,
 कलकत्ता।

तृतीय अनुसूची

मालों का वर्गीकरण

(नियम 10 देखिए)

वर्गों और उपवर्गों की स्पष्टीकारक टिप्पण सहित सूची

वर्ग 01

खाद्य पदार्थ

टिप्पण : (क) जिसमें मानव के लिए खाद्य पदार्थ, पशु के चारे और आहार खाद्य भी सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें पैकेज (वर्ग 09) सम्मिलित नहीं हैं।

01-01	बेकरी के उत्पाद बिस्कुट, पेस्ट्री, सेबई और अन्य अन्न उत्पाद, चाकलेट, मिष्ठान, बर्क
01-02	फल और शाक
01-03	पनीर, मक्खन और मक्खन के स्थानापन्न, अन्य डेयरी उत्पाद
01-04	पालतू मुर्गी, बत्तख आदि का मांस (जिसमें सूअर के मांस के उत्पाद भी सम्मिलित हैं), मछली
01-05	(रिक्त)
01-06	पशुओं के चारे
01-99	प्रकीर्ण

वर्ग 02

पहनावा और बिसाती वस्तुएं

टिप्पण : गुडिया के पहनावे की वस्तु (वर्ग 21-01) आग आपदा के विरुद्ध संरक्षण, दुर्घटना के निवारण और बचाव के लिए विशेष उपस्कर (वर्ग 29), और पशु के कपड़े वर्ग (30-01) सम्मिलित नहीं हैं।

02-01 अन्तःवस्त्र, अद्योवस्त्र, चोली अंगिया, रात्रि परिधान

टिप्पण : (क) विकलांग चोली और शरीर के सौम वस्त्र सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें घर के सौम वस्त्र सम्मिलित नहीं हैं।

02-02 वस्त्र

टिप्पण : (क) जिसमें (ख) में प्रदर्शित अपवादों के सिवाय, लोम चर्म के कपड़े, पहाने की पोशाक, खेलने के पहनावे और विकलांग वस्त्र, सभी किस्मों के वस्त्र सम्मिलित हैं।

(ख) अधोवस्त्र वर्ग (02-01) या वर्ग 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, में रखे गए वस्त्र सम्मिलित नहीं हैं।

02-03 सिर के पहनावे

टिप्पण : जिसमें पुरुषों महिलाओं और बच्चों के सिर के सभी प्रकार के पहनावे सम्मिलित हैं।

02-04 जूते, मोजे और जुराबें

टिप्पण : जिसमें खेल कूद के पैरों के लिए विशेष जूते जैसे फुटबाल, बर्फ पर फिसलने और बर्फ हाकी विकलांगों के जूते और मोजे, कसकर बंधे हुए, गुल्फ गौण या अन्य पहनावे सम्मिलित हैं।

02-05 टाई, दुपट्टा, गुलूबंद और रूमाल

टिप्पण : जिसमें सभी "पतलें" वस्त्रों के उप साधन सम्मिलित हैं।

02-06 दस्ताने

टिप्पण : जिसमें शल्य चिकित्सा और घरेलू उपयोग या विभिन्न व्यवसायों या खेल-कूदों के उपयोग के लिए रबर या प्लास्टिक के दस्ताने सम्मिलित हैं।

02-07 बिसाती और पोषाकों के उपसाधन

टिप्पण : (क) जिसमें बटन, वस्त्रों के लिए, सिर के लिए और पैरों के बक्सुए के लिए फीते, पिन हाथ की सिलाई, बुनाई और कढ़ाई के उपस्कर और वस्त्रों के उप साधन जैसे घंटियां, गैलिस, बंधनी सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें सूत या अन्य धागे (05-01), सजावटी गोटा पट्टी (05-04), सिलाई, बुनाई और कढ़ाई की मशीनें सम्मिलित नहीं हैं।

02-99 प्रकीर्ण

वर्ग 03

यात्रा के सामान, डिब्बे, छाते और वैयक्तिक सामान, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

03-01 बक्से, सूटकेस, ब्रीफकेस हाथ के थैले, चाबी के धारक, रखी जाने वाली वस्तुओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिब्बे, बटुआ और समान वस्तुएं।

टिप्पण : जिसमें माल के परिवहन के लिए वस्तुएं (वर्ग 09) या सिगार केस और सिगरेट केस के (वर्ग 27-06) सम्मिलित नहीं हैं।

03-02 (रिक्त)

03-03 छतरियां झिलमिली और टहलने की छड़ियां

03-04 पंखे

03-99 प्रकीर्ण

वर्ग 04

भाड़न

04-01 सफाई के लिए ब्रश, झाड़ू

टिप्पण : जिसमें कपड़े के ब्रश सम्मिलित (वर्ग 04-02) नहीं हैं।

04-02 प्रसाधन ब्रश, कपड़े के ब्रश और जूत के ब्रश

टिप्पण : "प्रसाधन ब्रश" से शारीरिक उपयोग के लिए ब्रश और उदाहरणार्थ नाखूनों या दांतों के लिए ब्रश अभिप्रेत है।

04-03 मशीन के लिए ब्रश

टिप्पण : "मशीन के लिए ब्रश" से मशीनों में या विशेष यानों में लगे हुए ब्रश अभिप्रेत हैं।

04-04 पुताई के लिए ब्रश, खामा पकाने में प्रयोग होने वाले ब्रश

04-99 प्रकीर्ण

वर्ग 05

टेक्सटाइल, पीस गुड्स, कृत्रिम और प्राकृतिक चादर सामग्री

टिप्पण : (क) सभी टेक्सटाइल या समान वस्तुएं जो कि गज द्वारा और बिना बनी हुए विक्रय की जाती हैं सम्मिलित हैं।

(ख) बनी-बनाई वस्तुएं (वर्ग 02 या 06) सम्मिलित नहीं हैं।

05-01 बुनाई हुई वस्तुएं

टिप्पण : (क) जिसमें सूत या धागे सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें रस्से के तार, नाड़े, डोरी (वर्ग 09-06) सम्मिलित नहीं हैं।

05-02 किनारी

05-03 कढ़ाई

05-04 फीता, गोटा और अन्य सजावटी अलंकरण

05-05 टेक्सटाइल कपड़े

टिप्पण : टेक्सटाइल कपड़े, व्युत्पन्न, बुने हुए या अन्य किसी प्रकार से निर्मित तिरपाल, नमदा और पर्तें सम्मिलित हैं।

05-06 कृत्रिम या प्राकृतिक चादर पदार्थ

टिप्पण : (क) चादरें जिनकी लाक्षणिक विशेषताएं सतह का अलंकरण या उनकी बुनावट, विशेषतया आवरण चादर जैसे भिन्न पत्र, किरमिय का यिखाने का कपड़ा, स्वतःआसंजक प्लास्टिक चादर लिपेटने की चादर और कागज की गोल गड्डी, (ख) के अधीन दर्शित अपवादां के अधीन रहते हुए सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें लेखन कागज, चाहे वह लिपटा हुआ हो (वर्ग 19-01) या भवन संघटक के रूप में उपयोग आने वाली दीवार के फलक, तख्तायंती सम्मिलित नहीं है।

05-99 प्रकीर्ण

वर्ग 06

ग्राज सामान

टिप्पण : (क) विविध सजा की वस्तुओं में सम्मिलित घटक जिसमें वर्ग 06-05 में वर्गीकृत विभिन्न उपवर्गों में सम्मिलित पदार्थ सम्मिलित है।

(ख) फर्नीचर के सेट, उस सीमा तक जहां तक वह एक डिजाइन इनकी तरह दिखती हैं, वर्ग 06-05 में वर्गीकृत हैं।

(ग) जिसमें टेक्सटाइल पीस गुड्स सम्मिलित नहीं है।

06-01 पलंग और चादरें

टिप्पण : जिसमें गद्दों के अनुलंब और यान की गद्दी सम्मिलित है।

06-02 (रिक्त)

06-03 मंजें और समान सज्जा सामग्री

06-04 गोंदाम की सज्जा सामग्री

टिप्पण : जिसमें अलमारी, सज्जा सामग्री सहित मेज की दराज या अन्य खाने सम्मिलित हैं।

06-05 विविध साज सज्जा

06-06 अन्य सज्जा सामग्री और साज सामग्री के भाग

06-07 दर्पण और शौखट

टिप्पण : जिसमें अन्य वर्गों में सम्मिलित दर्पण सम्मिलित नहीं हैं (वर्णानुक्रम सूची देखिए)

06-08 पोशाक खूंटी

टिप्पण : क्रेंच पाठ में एक नोट है जो अंग्रेजी पाठ से संबद्ध नहीं है।

06-09 गद्दे और तकिए

06-10 पर्दे और घर के अन्दर की झिलमिली

06-11 कालीन, दरी, गलीचा

06-12 दीवार टेपस्ट्री

06-13 कंबल और अन्य ढकने की सामग्री, घरेलू कपड़ा और मेजपोश

टिप्पण : जिसमें साज सामग्री के रक्षा आवरण पलंगपोश, मेजपोश सम्मिलित हैं।

06-99 प्रकाश

वर्ग 07

संकेत वस्तुएं जो कहीं अन्य विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

टिप्पण : (क) इनमें घरेलू साधित्र और हाथ द्वारा, चालित उपकरण, चाहे वे मोटर द्वारा चालित हों सम्मिलित हैं।

(ख) इनमें खाद्य और पेय तैयार करने के लिए मशीनें और साधित्र (वर्ग 31) सम्मिलित नहीं हैं।

07-01 चाइना, कांच का सामान, व्यंजन पात्र तथा समान प्रकृति की अन्य वस्तुएं।

टिप्पण : (क) इनमें व्यंजन पात्र और चीनी के बर्तन विशेषतः कागज और पत्ते के व्यंजन पात्र सम्मिलित हैं।

(ख) इनमें खाना पकाने के उपकरण और आधान जैसे कांच और मिट्टी के बर्तन (वर्ग 07-02) या पुष्प कलश, गमले और चाइना कांच का सामान (वर्ग 11-02) जो कि केवल सजावटी प्रकृति का है सम्मिलित नहीं है।

07-02 खाने पकाने के साधित्र, उपकरण और आधान

07-03 खाने की छुरी, कांटे और चम्मच

07-04 खाना या पेय बनाने के लिए हाथ से काम आने वाले और उपकरण

टिप्पण : इनमें वर्ग 07-02 और वर्ग 31 में वर्गीकृत साधित्र और उपकरण सम्मिलित नहीं हैं।

07-05 इस्तरी, धुलाई, सफाई और मुखाने के उपस्कर

07-06 खाने के अन्य बर्तन

07-07 अन्य घरेलू पात्र

07-08 चुल्हा साधन

07-99 प्रकाश

वर्ग 08

औजार और लोहे से निर्मित वस्तुएं

टिप्पण : (क) हस्तचालित औजार सम्मिलित हैं, भले ही यांत्रिक शक्ति के स्थान पर शारीरिक बल का प्रयोग होता हो, उदाहरणार्थ विद्युत आरियां और ड्रिलें।

(ख) मशीनें या मशीनों के औजार (वर्ग 15 या 31) सम्मिलित नहीं हैं।

08-01 ड्रिलिंग, मिलिंग या खुदाई के औजार और साधन

08-02 हथौड़ा और अन्य समान औजार और साधन

08-03 काटने के औजार और साधन

टिप्पण : (क) काटने के लिए औजार और उपकरण सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें खाने के चाकू (वर्ग 07-03), काटने के औजार और रसोई में उपयोग के साधन (वर्ग 31) या शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले औजार (वर्ग 24-02) सम्मिलित नहीं हैं।

08-04 पेचकस और अन्य समान औजार और साधन

08-05 अन्य औजार और साधन

टिप्पण: इनमें ऐसे औजार सम्मिलित हैं जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया है या अन्य उपवर्गों में नहीं रखा जाना है।

08-06 हथौड़ा और कच्चे

08-07 युक्तियों को बंद करने के लिए लाकिंग

08-08 फार्मनिंग, सपोर्टिंग या माउंटिंग युक्तियां जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं।

टिप्पण: (क) इनमें कोल, पेच, डिबरी और वोल्ट सम्मिलित हैं।

(ख) पोशाकों के लिए (वर्ग 02-07), अलंकरण के लिए (वर्ग 11-01) या कार्यालय उपयोग के लिए फार्मनिंग युक्तियां सम्मिलित नहीं हैं।

08-09 दरवाजे, खिड़कियों और फर्नीचर तथा अन्य समान वस्तुओं के लिए धातु फिटिंग्स और माउंटिंग्स

08-10 बाइमार्याकल रैक

08-99 प्रकीर्ण

टिप्पण: इनमें गैर विद्युत केषल, बिना इस अपेक्षा के कि ये किस पदार्थ से बने हैं, सम्मिलित हैं।

वर्ग 09

माल के परिवहन और उभकी उठाई-धराई के लिए पैकेज और आधान

09-01 बोतल, फ्लास्क, पात्र, कारबाय, तंग मुह की कुंडी बोतल और डायनमिक वितरण साधन के साथ आधान

टिप्पण: (क) 'पात्र' से ऐसे आधान अभिप्रेत हैं जो आधान के रूप में काम आ रहे हैं।

(ख) इनमें ऐसे पात्र सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें चीनी के बर्तन (वर्ग 07-01) या गमले (11-02) समझा जाता है।

09-02 भंडारण केन, पीपे और लकड़ी के पीपे

09-03 बक्से, केम, आधान (परिरक्षण) टीन या केन

टिप्पण: जिनमें तुलाई आधान भी सम्मिलित हैं।

09-04 हैम्पर क्रेट और टोकरी

09-05 थैले, मेशे द्यद और कंपमूल

टिप्पण : (क) इनमें हत्था या बंद करने के साधन सहित अथवा रहित प्लास्टिक के बैग या गैरो सम्मिलित हैं।

(ख) "कैपसूल" में हैं, जिन्हें पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है।

09-06 रग्ना और छल्ला सामग्री

09-07 बंद करने के साधन और उप साधन

टिप्पण: (क) जिसमें केवल पैकेजिंग के बन्द करने के साधन सम्मिलित हैं।

(ख) "उप साधन" में उदाहरणार्थ आधान या अलग हॉन योग्य एटमाइजर में संयोजित वितरण और मिश्रित युक्ति अभिप्रेत है।

09-08 काटा उत्कर्ष के लिए प्रपदिका और पीठिका

09-09 उच्छिष्ट और कूड़ा करकट आधान और उन के लिए आधार

09-99 प्रकीर्ण

वर्ग 10

क्लॉक और कलाई घड़ियां तथा अन्य मापक उपकरण, जांच और संकेत उपकरण

टिप्पण: जिसमें विद्युत चालित उपकरण भी सम्मिलित हैं।

10-01 घड़ी और अलार्म घड़ी

10-02 घड़ियां और कलाई घड़ी

10-03 अन्य समय मापक उपकरण

टिप्पण: जिसमें समय मापक उपकरण जैसे घड़ीय मीटर, रसोई में उपयोग के लिए समय मापक और समान उपस्कर सम्मिलित हैं।

10-04 अन्य मापक उपस्कर उपकरण और युक्तियां

टिप्पण: (क) जिसमें ताप, दाब, भार लम्बाई, आयतन और विद्युत मापने के लिए उपस्कर, उपकरण और युक्तियां सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें उद्भासन मीटर (वर्ग 16-05) सम्मिलित नहीं है।

10-05 जांच, मुरक्षा या परीक्षण के लिए उपकरण, उपस्कर और युक्तियां

टिप्पण: जिसमें आग और चोर घंटी और विभिन्न प्रकार के डिटेक्टर भी सम्मिलित हैं।

10-06 संकेतक, उपकरण और युक्तियां

टिप्पण: जिसमें यानों के लिए प्रकाश या संकेतक युक्तियां सम्मिलित नहीं हैं।

10-07 मापने, जांच करने और संकेत देने के लिए उपकरणों के डायल आवरण, हाथ और सभी अन्य हिस्से और उपसाधन

टिप्पण: "आवरण" से घड़ी और कलाई के आवरण और सभी आवरण जो उपकरण की यान्त्रिक को सुरक्षा प्रदान करते हैं अभिप्रेत हैं किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर जहां उन्हें उनकी अंतर्वस्तु के लिए (वर्ग 03-01) या पैकेजिंग के लिए (वर्ग 09-03) विनिर्दिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है।

10-99 प्रकीर्ण

वर्ग 11

अलंकरण की वस्तुएं

11-01 आभूषण

टिप्पण: (क) जिसमें अलंकरण भय और अनुकृतियां सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें घड़ियां (वर्ग 10-02) सम्मिलित नहीं है।

11-02 साधारण गहने, चपटे तल में कटे रत्न, रूदे और दीवाल की सजावट फूल दान और गमले

टिप्पण: जिसमें मूर्तियां गतिशील और स्थिर मूर्तियां सम्मिलित हैं।

11-03 पदक और पद चिह्नक

11-04 कृत्रिम पुष्प, फल और पौधे

11-05 झंडे समारोह के अलंकरण

टिप्पण : (क) जिसमें भाला पताका, किसमिस के पेड़ के अलंकरण भी सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें मोमबत्ती (वर्ग 26-04) सम्मिलित नहीं हैं।

11-99 परकीर्ण

वर्ग 12

परिवहन या उत्तोलन के साधन

टिप्पण: (क) जिसमें भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और अन्य सभी यान सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें किसी अन्य वर्ग में न रखे जा सकने वाले पुर्जे, हिस्से और उपसाधन जो किसी यान के संबंध में ही विद्यमान हैं सम्मिलित हैं, इन पुर्जों, हिस्सों और उपसाधनों को विचाराधीन यान के उपवर्ग में या यदि वे विभिन्न उपवर्गों में सम्मिलित कई यानों में उपयोग के लिए हैं तो उन्हें वर्ग 12-16 में रखा जाना है।

(ग) जिसमें भिन्नान्ततः ऐसे यानों के हिस्से, पुर्जे और उपसाधन सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें अन्य उपवर्गों में रखा जा सकता है; व हिस्से पुर्जे और उपसाधन समान प्रकार की वस्तुओं के रूप में समान वर्ग में रखे जाते हैं, अन्य शब्दों में समान कृत्य वाले हैं। इस प्रकार, मोटर गाड़ी के लिए कालीन या पायदान, कालीन (वर्ग 06-11) के साथ रखे गए हैं; यानों के लिए विद्युत मोटर वर्ग 13-01 और वर्ग 15-01 में यानों के लिए गैर विद्युत मोटर (गैरे मोटर के हिस्सों के लिए समान लागू हैं); मोटर गाड़ी के शीर्ष लैम्प के प्रकाश उपकरणों (वर्ग 26-06) के साथ रखा गया है, सम्मिलित नहीं हैं।

(घ) यानों के मापमान माडल (वर्ग 21-01) सम्मिलित नहीं हैं।

12-01 पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले यान

12-02 हाथ गाड़ी, ठेला

12-03 रेलवे के लिए चालित और चलम्टाक आदि अन्य रेलयान

12-04 विद्युत छकड़ा वाहन, कुर्मी लिफ्ट और खुली लिफ्ट

12-05 एलियेटर और लड़ाई या परिवहन के लिए उत्तोलक

टिप्पण : जिसमें यात्री लिफ्ट, माल लिफ्ट केन, कौटा लिफ्ट, ट्रक या वाहन पट्टा सम्मिलित है।

12-06 पोत और नौका

12-07 वायुयान और अंतरिक्ष यान

12-08 मोटर कार, बसें और लारी

टिप्पण : जिसमें रोगी वाहन और प्रशीतक गाड़ी (सड़क) सम्मिलित है।

12-09 ट्रैक्टर

12-10 सड़क यान ट्रेलर

टिप्पण : जिसमें बन्द गाड़ियां भी सम्मिलित हैं।

12-11 साइकिल और मोटर साइकिल

12-12 बम्बा गाड़ी, अशक्त कुर्सी, स्ट्रेचर

टिप्पण : (क) : 'बम्बा गाड़ी'; से शिशुओं के लिए हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी अभिप्रेत है।

(ख) जिसमें खिलौना बम्बागाड़ी सम्मिलित नहीं है।

12-13 विशेष प्रयोजन यान

टिप्पण : (क) इसमें ऐसे यान सम्मिलित हैं जो विशेष रूप से परिवहन के लिए आशयित नहीं हैं, जैसे—सड़क सफाईयान या छिड़काव लारी, दमकल, बर्फ हटाने की गाड़ी और सहायता गाड़ी सम्मिलित है।

(ख) जिसमें मिश्रित प्रयोजन के लिए कृषि मशीनें (वर्ग 15-03) या मंनिर्माण और सिविल इंजिनियरी में प्रयोग के लिए स्वतः नोदित मशीनें सम्मिलित नहीं हैं।

12-14 अन्य यान

टिप्पण : जिसमें स्लेज और एअरकृशन यान भी सम्मिलित हैं।

12-15 यानों के लिए टायर और फिसलन-रोधी चनें

12-16 यानों के लिए पुर्जे, उपस्कर और उपसाधन जो अन्य वर्गों या उपवर्गों में सम्मिलित नहीं हैं।

12-99 प्रकीर्ण

वर्ग 13

विद्युत के उत्पादन, वितरण या पारेपण के लिए उपस्कर

टिप्पण : (क) जिसमें केवल विद्युत धारा के उत्पाद वितरण या पारेपण के उपकरण सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें किसी भी तरह की विद्युत मोटर सम्मिलित हैं।

(ग) जिसमें विद्युत चालित उपकरण जैसे विद्युत घड़ियां (वर्ग 10-02) या विद्युत धारा को मापने के लिए उपकरण सम्मिलित नहीं हैं।

13-01 जनित्र और मोटर

टिप्पण : यान के लिए विद्युत मोटर सम्मिलित हैं।

13-02 विद्युत ट्रांसफार्मर, परिशोधक, बैटरी और संचायक

13-03 विद्युत के वितरण या नियंत्रण के लिए उपस्कर।

टिप्पण : जिसमें चालक, स्विच और स्विच बोर्ड सम्मिलित हैं।

13-99 प्रकीर्ण

वर्ग 14

रिकार्डिंग, संचार या सूचना पुनः प्राप्ति के लिए उपस्कर

14-01 ध्वनि या चित्रों की रिकार्डिंग, पुनः प्रस्तुति और पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए उपस्कर।

टिप्पण : जिसमें छायाचित्रण या चलचित्र संबंधी उपकरण (वर्ग 16) सम्मिलित नहीं हैं।

14-02 आंकड़े संसाधन उपस्कर इसके साथ ही उपान्त उपकरण और युक्तियां

14-03 संचार उपस्कर, बेतार दूरस्थ नियंत्रक और रेडिओ एम्पलीफायर

टिप्पण : जिसमें तार टेलीफोन और दूरदर्शन उपकरण इसके साथ ही बेतार उपकरण और तार लेखी सम्मिलित हैं।

टिप्पण : जिसमें तार टेलीफोन और दूरदर्शन उपकरण इसके साथ ही बेतार उपकरण और तारलेखी सम्मिलित हैं।

14-99 प्रकीर्ण

वर्ग 15

मशीनें जो अन्यत्र कहीं विभिर्दिष्ट नहीं हैं

15-01 इंजन

टिप्पण : (क) जिसमें यानों के लिए अविद्युत इंजन सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें विद्युत मोटर (वर्ग 13) सम्मिलित नहीं हैं।

15-02 पंप और संपीडक

टिप्पण : जिसमें हाथ या पैर का पंप (वर्ग 08-05) या अग्नि शामक पंप (वर्ग 29-01) सम्मिलित नहीं हैं।

15-03 कृषि संबंधी मशीनरी

टिप्पण : (क) जिसमें जोतने और संयोजित मशीनरी अर्थात् मशीनें और यान दोनों उदाहरण के लिए कटाई और संयोजी मशीनें सम्मिलित हैं।

(ख) जिसमें हाथ के औजार सम्मिलित नहीं हैं।

- 15-04 संनिर्माण मशीनरी
(क) जिसमें सिविल इंजीनियरी और स्वतःनोदित मशीनें जैसे कि एक्सकेवेटर्स, कंक्रीट मिश्रक और तल मार्जिन सम्मिलित हैं।
(ख) जिसमें उदवाहक और क्रेन सम्मिलित नहीं हैं।
- 15-05 धुलाई, सफाई और सुखाने की मशीनें
टिप्पण : इनमें (क) अस्तर और कपड़ों को उपचारित करने के उपकरण और मशीनें जैसे कि इस्तरी और निचोड़ने वाले यंत्र।
(ख) बर्तन धोने की मशीन और औद्योगिक सुखाने के उपस्कर सम्मिलित हैं।
- 15-06 वस्त्र, सिलाई, बुनाई और कढ़ाई मशीनें और उनके समेकित पुर्जे
- 15-07 प्रशीतक मशीनरी और उपकरण
टिप्पण : (क) जिसमें घरेलू प्रशीतक उपकरण सम्मिलित हैं। (वर्ग 12-08)
(ख) जिसमें प्रशीतक बैगन (रेल) (वर्ग 12-03) या प्रशीतक यान (मड़क) (वर्ग 12-08) सम्मिलित नहीं हैं।
- 15-08 (रिक्त)
- 15-09 मशीनी औजार अपघर्षण और फाउंडिंग मशीनरी
टिप्पण : जिसमें भूमि में कार्य करने वाली मशीनरी और सामग्री के पृथक्कारी सम्मिलित नहीं हैं।
- 15-99 प्रकीर्ण

वर्ग 16

- छाया चित्रण, चल चित्र संबंधी और दृष्टि विज्ञान संबंधी उपकरण
टिप्पण : इनमें छाया चित्रण या चलचित्र संबंधी के लिए लैम्प (वर्ग 26-06) सम्मिलित नहीं हैं।
- 16-01 फोटोग्राफिक कैमरा या फिल्म कैमरा
- 16-02 प्रक्षेपाक और दृश्यदर्शी
- 16-03 फोटोकापी उपकरण और चित्रवर्धक
टिप्पण : जिसमें सूक्ष्म फिल्मिकरण उपस्कर और सूक्ष्म फिल्म देखने के लिए उपकरण और साथ ही सभी कार्यालय मशीनें जो फोटो प्रतिकृति उपकरण के नाम से जानी जाती हैं और जो फोटो चित्रण प्रसंस्करण में विभिन्न प्रकार में उपयोग की जाती हैं। (विशिष्टतया तापीय, चुम्बकीय प्रसंस्करण) सम्मिलित हैं।
- 16-04 डेवेलप करने के उपकरण और उपस्कर
- 16-05 उपसाधन
टिप्पण : जिसमें फोटोग्राफिक कैमरे के फिल्टर उद्भाषित मीटर, तिपाई और फोटोग्राफिक क्षणदाप उपकरण सम्मिलित हैं।
- 16-06 दृष्टि विज्ञान संबंधी वस्तुएं
टिप्पण : (क) जिसमें चशमें और सूक्ष्मदर्शी सम्मिलित हैं।
(ख) जिसमें ऐसा मापक उपस्कर जिसमें दृष्टि युक्त हो, सम्मिलित नहीं हैं।
- 16-99 प्रकीर्ण

वर्ग 17

- संगीत संबंधी उपस्कर
टिप्पण : जिसमें संगीत संबंधी उपकरणों के केमिज (वर्ग 03-01) या ध्वनि के अंकन या पुनःप्रस्तुतिकरण के उपस्कर (वर्ग 14-01) सम्मिलित नहीं हैं।
- 17-01 कुंजी फलक उपस्कर
टिप्पण : जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और अन्य वाद्य, बल्लि वाद्य और यान्त्रिक और अन्य पिणानों सम्मिलित हैं।
- 17-02 सुपिर वाद्य
टिप्पण : जिसमें वाद्य, हारमोनियम और बल्लिवाद्य और यान्त्रिक और अन्य पिणानों सम्मिलित नहीं हैं।
- 17-03 तन्त्रीवाद्य
- 17-04 आघात वाद्य

- 17-05 यान्त्रिक बाद्य
टिप्पण : (क) जिसमें म्यूसिक बॉक्स सम्मिलित हैं।
(ख) जिसमें यंत्रिक कुंजी फलक उपस्कर (वर्ग 17-01) सम्मिलित नहीं हैं।
17-99 प्रकीर्ण

वर्ग 18

मुद्रण और कार्यालय मशीनरी

- 18-01 टाइपराइटर और परिकल्पन यंत्र
टिप्पण : जिसमें क्रम्यूटर और अन्य उपकरण जो वर्ग 14,02 में हैं, सम्मिलित नहीं हैं।
18-02 मुद्रण मशीनें
टिप्पण : (क) जिसमें टाइप सेटिंग मशीनें, रटोरीयो टाइप मशीन और उपकरण, टाइपोग्राफिक मशीन और अन्य प्रत्युत्पादन मशीनें जैसे अनुलिपिक और आठ सेट उपस्कर और पतालेखी, फ्रैंकिंग रद्द करने वाली मशीनें सम्मिलित हैं।
(ख) जिसमें फोंटाकार मशीनें सम्मिलित नहीं हैं। (वर्ग 16-03)
18-03 टाइप और टाइप फोर्मज
18-04 जिल्दमाजी मशीन, मुद्रक की स्टप मशीन, गुइलोटाइन्स और ट्रिमरस (जिल्दमाजी के लिए)
टिप्पण : जिसमें कागज काटने के लिए गुइलोटाइन्स और ट्रिमरस के सदृश्य मशीनें और समान युक्तियां सम्मिलित हैं।
18-99 प्रकीर्ण

वर्ग 19

लेखन सामग्री और कार्यालय उपस्कर, कलाकार के और शिक्षण संबंधी सामग्री

- 19-01 लेखन पेपर पत्राचार और उद्घोषणा के लिए कार्ड
टिप्पण : जिसमें सभी प्रकार के कागज, लिखित अभिप्राय में जो लेखन आरेखन चित्रकारी या मुद्रण जैसे अनुरेखन कागज, कार्बन कागज, अख्यकारी कागज, लिफाफे बधाई पत्र, सचित्र पोस्टकार्ड, भले ही यदि उनमें ध्वनांकन सन्निविष्ट हो।
19-02 कार्यालय उपस्कर
टिप्पण : (क) जिसमें नकद भुगतान की मेज पर उपयोग होने वाले उपस्कर जैसे रेजगारी छांटने के उपस्कर सम्मिलित हैं।
(ख) अन्य उपकरण या वर्गों में रखे जाने वाले कुछ कार्यालय उपस्कर, उदाहरण के लिए वर्ग 06 में कार्यालय सामग्री वर्ग 14-02, 16-03, वर्ग 18-01, 18-02, या 18-04 में कार्यालय मशीन और उपस्कर और 19-01 या 19-06 में लेखन सामग्री (वर्णानुक्रम सूची देखिए)
19-03 कैलेंडर
टिप्पण : जिसमें डायरी सम्मिलित नहीं हैं। (वर्ग 19-04)।
19-04 पुस्तकें और समान बाह्य प्रकटन उद्देश्यों को अन्य वस्तुएं
टिप्पण : पुस्तकों के जिल्द, जिल्द माजी, पुस्तिका डायरी और समान वस्तुएं भी सम्मिलित हैं।
19-05 रिक्त
19-06 बाध से लिखने, आरेखन, चित्रकारी, मूर्तिकला, नक्काशी के लिए और अन्य कला तकनीकों के उपकरण
टिप्पण : जिसमें लिखकारों के त्रुश (वर्ग 04-04), चित्रकारी मेज और संबंधित उपस्कर (वर्ग 16-03) या लेखन कागज (वर्ग 19-01) सम्मिलित नहीं हैं।
19-07 शिक्षण सामग्री
टिप्पण : (क) जिसमें सभी प्रकार के नक्शे भूमण्डल ग्लोब और तागगृह सम्मिलित हैं।
(ख) जिसमें दृश्य श्रवण शिक्षण सहायकी सम्मिलित नहीं हैं।
19-08 अन्य मुद्रित सामग्री
टिप्पण : जिसमें मुद्रित विज्ञापन सामग्री सम्मिलित है।
19-99 प्रकीर्ण

वर्ग 20

विक्रय और उपस्कर चिन्ह

- 20-01 स्वचालित विक्रय मशीन
- 20-02 प्रदर्शन और विक्रय उपस्कर
- टिप्पण : जिसमें सजा सामग्री (वर्ग 06) की वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं।
- 20-03 चिन्ह सूचनापट्ट और प्रचार युक्तियां
- टिप्पण : (क) जिसमें प्रदीप्त विज्ञापन युक्तियां और सचल विज्ञापन युक्तियां सम्मिलित हैं
(ख) जिसमें पैकेज (वर्ग 09) या संकेतक युक्तियां (वर्ग 10-06) सम्मिलित नहीं हैं।
- 20-99 प्रकीर्ण

वर्ग 21

खेल, खिलाँने, शिबिर और खेल का सामान

- 21-01 खेल और खिलाँने
- टिप्पण : (क) जिसमें मापमान माडल सम्मिलित हैं।
(ख) जिसमें पशुओं के लिए खिलाँने (वर्ग 30.99) सम्मिलित नहीं हैं।
- 21-02 व्यायाम और खेल उपकरण और उपस्कर
- टिप्पण : (क) खेल उपस्कर विभिन्न खेलों के लिए आवश्यक उपकरण और उपस्कर जिनका कोई अन्य विधिगत वर्गीकरण नहीं है, जैसे फुटबाल, स्की और टेनिस रैकेट, जो कि अन्य सभी उद्देश्यों के उपयोग के लिए हैं जिनका किसी विशिष्ट खेल के अभ्यास के लिए उपयोग किया जा सकता है।
(ख) जिसमें (क) के अधीन वर्णित आरक्षण के अधीन रहते हुए, प्रशिक्षण उपस्कर और उपकरण और आरक्षण खेलों के आवश्यक उपकरण सम्मिलित हैं।
(ग) जिसमें खेलों के वस्त्र (वर्ग 02), हिमयान या स्लज (12-14) सम्मिलित नहीं हैं।
- 21-03 अन्य मनोरंजन और मनोरंजन की वस्तुएं
- टिप्पण : (क) जिसमें समतल आधार चक्करदार और अवसर के खेलों के लिए स्वचालित मशीनें सम्मिलित हैं।
(ख) जिसमें खेलकूद और खिलाँने (वर्ग 21-01), या वर्ग 21-01 या 21-02 में रखे जाने वाला अन्य वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं।
- 21-04 टेंट और उसके उपसाधन
- टिप्पण : (क) जिसमें खम्भे, खुंटी और अन्य सदृश वस्तुएं सम्मिलित हैं।
(ख) जिसमें अन्य कैम्प की वस्तुएं जो उनकी प्रकृति के अनुसार अन्य वर्गों में रखी जाती हैं जैसे कुर्सी (वर्ग 06-01), मज (वर्ग 06-03) प्लेट (वर्ग 07-01) और कारवां (वर्ग 12-10) सम्मिलित नहीं हैं।
- 21-99 प्रकीर्ण

वर्ग 22

आयुध, आतिशबाजी की वस्तुएं, आखंड, मत्स्य ग्रहण, जीवनाशी के लिए वस्तुएं

- 22-01 पक्षेय अस्त्र
- 22-02 अन्य अस्त्र
- 22-03 गोलाबारूद राकेट, आतिशबाजी वस्तुएं
- 22-04 लक्ष्य और उपसाधन
- टिप्पण : जिसमें चल लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए विशेष युक्तियां सम्मिलित हैं
- 22-05 आखंडक और मत्स्य ग्रहण उपस्कर
- टिप्पण : जिसमें परिधान (वर्ग 02) या आयुध (वर्ग 22-01 या 22-02) सम्मिलित नहीं हैं।
- 22-06 जाल, जीवनाशी की वस्तुएं
- 22-99 प्रकीर्ण

वर्ग 23

तरल वितरण उपस्कर सफाई, तापन, संघातन और वायुनुकूलित उपस्कर ठोस ईंधन

- 23-01 तरल वितरण उपस्कर
विषय : जिसमें पाइप और पाइपों की फिटिंग सम्मिलित है।
- 23-02 सफाई उपकरण
विषय : जिसमें स्नान, फुहारा, वाशबेसिन भाप स्नानघर शौचघर सफाई इकाइयां और सफाई उपसाधन जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं।
(र) जिसमें पाइप या पाइपों की फिटिंग सम्मिलित नहीं है।
- 23-03 तापन उपस्कर
- 23-04 संघातन और वातानुकूलन उपस्कर
- 23-05 ठोस ईंधन
- 23-99 परकीर्ण

वर्ग 24

आयुर्विज्ञान और प्रयोगशाला उपस्कर

- विषय : "आयुर्विज्ञान उपस्कर" पद के अन्तर्गत शल्य, दंत और पशु चिकित्सीय उपस्कर भी हैं।
- 24-01 डाक्टर चिकित्सालयों और प्रयोगशाला के लिए चिकित्सा माध्यम उपस्कर
- 24-02 चिकित्सीय उपकरण, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए उपकरण और औजार
विषय : जिसमें केवल हस्त चलित उपकरण सम्मिलित हैं।
- 24-03 कृत्रिमों वस्तुएं
- 24-04 चोट की मरहम पट्टी, परिचर्या और चिकित्सीय देखरेखा के लिए सामग्री
- 24-99 परकीर्ण

वर्ग 25

निर्माण इकाइयां और संनिर्माण तत्व

- 25-01 भवन निर्माण सामग्री
विषय : जिसमें ईंट कड़ी पृथ्वी आकारित पट्टी, टाइलें, स्लेटे और प्लैंक सम्मिलित हैं।
- 25-02 पृथ्वी निर्मित या पृथ्वी समवेत भवन भाग
विषय : (क) जिसमें खिड़की, दरवाजे, बाहर के कपाट विभाजक दीवारें और ग्रेटिंग सम्मिलित हैं।
(ख) जिसमें सीढ़ियां सम्मिलित नहीं हैं (वर्ग 25-04)।
- 25-03 गुट्ट गंराज, और अन्य भवन
- 25-04 पट्टी, सीढ़ियां और पाइ
- 25-99 परकीर्ण

वर्ग 26

प्रकाशक सामान

- 26-01 साम्बन्धी और दीपाधार
- 26-02 मशकत और हरन लैम्प और तालटैन
- 26-03 शान्तिनिक प्रकाश के फिक्सचर
विषय : जिसमें बाहर के लैम्प, मंच की प्रकाश और सर्चलाइट प्रक्षेपी सम्मिलित है।
- 26-04 परदीप, रस्ता, विद्युतीय या नहीं
- विषय : जिसमें मंदित लैम्प बल्ब, पदीप फ्लक और ट्यूब और मोमबत्तियां सम्मिलित हैं।
- 26-05 बाण, मलक लैम्प, दीपशुद्ध, मोमबत्ती आधार, दीवार और छत के फिक्सचर, लैम्पशेड परावर्तक, छायाचित्र और चलचित्र प्रक्षेपी लैम्प
- 26-06 भाषण के लिए पदापन यंत्रियां
- 26-99 परकीर्ण

वर्ग 27

तम्बाकू और धूम्रपानकर्ता के प्रदाय

- 27-01 तम्बाकू, सिगार और सिगरेट
 27-02 पाइप, सिगार और सिगरेट धारक
 27-03 राखदाना
 27-04 माचिस
 27-05 लाइटर
 27-06 सिगार केश, सिगरेट केश, तम्बाकू मर्तबान और धैली
 टिप्पण : जिसमें पैकेज (वर्ग 09) सम्मिलित नहीं है।
 27-99 प्रकीर्ण

वर्ग 28

औपधोय, और प्रसाधन उत्पाद, प्रसाधन सामग्री और उपस्कर

- 28-01 औपधोय उत्पाद
 टिप्पण : (क) जिसमें पशुओं के लिए भी सम्मिलित है।
 (ख) जिसमें मलहम पट्टी और परिचर्या (वर्ग 24-04) की सामग्री सम्मिलित नहीं है।
 (ग) जिसमें संपुटिका, कैपस्यूल, टिकियाँ, गोली और टेबलेट के रूप में रसायन सम्मिलित है।
 28-02 प्रसाधन उत्पाद
 टिप्पण : जिसमें पशुओं के लिए भी सम्मिलित है।
 28-03 प्रसाधन वस्तुएं और सौंदर्य प्रसाधन गृह उपकरण
 टिप्पण : (क) जिसमें उस्तरा, उपकरण और बाल हटाने और केश प्रसाधन के उपकरण सम्मिलित हैं।
 (ख) जिसमें प्रसाधन और शृंगार के ब्रुश (वर्ग 04-02) या पशुओं के लिए वस्तुएं और उपस्कर (वर्ग 30-99) सम्मिलित नहीं हैं।
 28-04 बालों की टोपी, नकली बाल
 28-99 प्रकीर्ण

वर्ग 29

अग्नि आपदा के विरुद्ध दुर्घटना रोधी और बचाव की युक्तियां और उपस्कर

- 29-01 अग्नि आपदा के विरुद्ध युक्तियां और उपस्कर
 टिप्पण : (क) जिसमें अग्निशामक सम्मिलित है
 (ख) जिसमें अग्निशामक इंजन (यान) (वर्ग 12-13) मुक्त होज और पेटी आग होज की पेटी (वर्ग 23-01) सम्मिलित नहीं है।
 29-02 दुर्घटना रोकने और बचाव के लिए युक्तियां और उपस्कर जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।
 टिप्पण : (क) पशुओं के लिए युक्तियां और उपस्कर सम्मिलित हैं।
 (ख) जिसमें हेलमेट (वर्ग 02-03) और दुर्घटना के विरुद्ध बचाव के लिए पहरावे (वर्ग 02-02, 02-04 या 02-06) सम्मिलित नहीं हैं।
 29-99 प्रकीर्ण

वर्ग 30

पशु के देखरेख और हैंडलिंग की वस्तुएं

टिप्पण : जिसमें पशुओं के खाद्य पदार्थ (वर्ग 01) या पशुओं के औपधीय और प्रसाधन उत्पाद (वर्ग 28-01 या 28-02) सम्मिलित नहीं हैं।

30-01 पशु के वस्त्र

30-02 बाड़े, कटघरा, कुत्ताघर और छोटे सुरक्षा गृह

टिप्पण : जिसमें भवन सम्मिलित नहीं है

30-03 चरही और नाद

30-04 घोड़े का साज सामान

टिप्पण : जिसमें पशुओं के लिए पट्टे सम्मिलित हैं।

30-05 चाबुक और अंकुश

30-06 बिछोने और घोंसले

30-07 पक्षियों की छतरी और पिंजरों के अन्य संयोजन

30-08 चिन्हांकन, चिकनी मिट्टी और बेड़ी

30-09 फंदों के खूटे

30-99 प्रकीर्ण

वर्ग 31

खाद्य या पेय तैयार करने के लिए मशीनें और उपकरण जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

टिप्पण : जिसमें हाथ से संचालित होने वाले औजार उपस्कर खाद्य या पेय तैयार करने और परोसने के उपस्कर (वर्ग 07) सम्मिलित नहीं हैं।

31-00 खाद्य और पेय के तैयार करने के लिए मशीनें और उपस्कर जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

वर्ग 99

प्रकीर्ण

टिप्पण : जिसमें अन्य सभी उत्पाद जो पूर्व वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, सम्मिलित हैं।

99-00 प्रकीर्ण

चतुर्थ अनुसूची

(नियम 43 देखिए)

नियंत्रक के समक्ष कार्यवाहियों में अनुज्ञेय खर्चों का मापमान

प्रविष्टि सं.	वे विषय जिनकी बाबत खर्च अधिनिर्णीत किया जाएगा	रकम
1.	नियम 40 के अधीन विरोध की सूचना के लिए	100.00 रु.
2.	धारा 19 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की याचिका के लिए	1000.00 रु.
3.	सुनवाई में उपस्थित होने की जानकारी की सूचना के लिए	200.00 रु.
4.	मुख्तारनामा के लिए स्टाम्प जहां वृत्तिक को नियुक्त किया गया है	यह रकम जो वास्तव में खर्च की गई है
5.	संगत शपथ पत्र की बाबत स्टाम्प फीस	यथोक्त
6.	नियम 29 (1) और 40 (2) के अधीन कथन के लिए	200.00 रु.
7.	नियम 29 (3) और 40 (4) के अधीन प्रति कथन के लिए	200.00 रु.
8.	यदि संगत हो तो प्रत्येक शपथपत्र के लिए	100.00 रु.
9.	यदि संगत हो तो प्रत्येक प्रोद्धारण के लिए	100.00 रु.
10.	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ पत्र या प्रोद्धारण के लिए	100.00 रु.
11.	नियंत्रक के समक्ष सुनवाई के प्रत्येक दिन या दिन के भाग के लिए	500.00 रु.

[फा. नं. 14(10)/2000-पीपी और सी]

ए. ई. अहमद, मन्वुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2001

S.O. 414(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Design Act, 2000 (16 of 2000), the Central Government hereby appoints the 11th day of May 2001 as the date on which the said Act shall come into force.

S.O.(E)..... whereas a draft of Design Rules was published as required by sub-section (3) of section 47 of the Design Act, 2000 (16 of 2000), by the notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry No.S.O.1069 (E) dated 29th November, 2000 at pages 56 to 115 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 29th November, 2000;

And whereas, objections and suggestions were invited till the 4th January, 2001 from all persons likely to be affected thereby:

And whereas, the draft of the Design Rules was made available to the public on the 4th December, 2000 through the said Gazette dated November 29, 2000:

And whereas, the objections and suggestions received from the public with respect to the said draft Rules have been considered by the Central Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 47 of the Design Act, 2000 (16 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

THE DESIGNS RULES, 2001

PRELIMINARY

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Designs Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Act" means the Designs Act, 2000

- (b) “Application in United Kingdom or convention country or group of countries or inter-governmental organisation” means an application made by any person in any part of United Kingdom or convention country or group of countries or inter-governmental organisation, of a design for the protection in India under the provisions of section 44 of the Act.
- (c) “Office” means the Patent Office referred to in section 74 of the Patent Act, 1970 (39 of 1970)
- (d) “Reciprocity Application” means an application in India under section 44 of the Act.
- (e) “Set” means a number of articles of the same general character ordinarily sold together or intended to be used together, all bearing the same design, with or without modification not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof.

- 3. Leaving and serving documents. -** (1) Any application, notice or other document authorised or required to be filed, left, made or given at the Office, or to the Controller or to any other person under the Act or these rules, may be sent by hand or by a prepaid letter through the post or registered post or speed post or courier service, and, if sent by a prepaid letter or registered post or speed post or courier service, shall be deemed to have been filed, left, made or given at the time when the letter containing the same would be delivered in the ordinary course of mail, and in proving such sending, it shall be sufficient to prove that the letter was properly addressed and mailed. If the documents sent through tele-fax/e-mail, are clear and fully legible, they shall also be accepted provided that original documents corresponding to the one sent by tele-fax/e-mail is submitted to the office within fifteen days from the date of receipt of the documents so faxed/e-mailed.
- (2) Any written communication addressed to a registered proprietor of a design at his address as it appears on the Register of Designs, or at his address for service, or to any applicant or opponent in any proceedings under the Act or these rules, at the address appearing on the application or notice of opposition, or given for service, as hereinafter provided, shall be deemed to be properly addressed.

- (3) Any application for registration of design, application for extension of copyright, petition for cancellation of registration of design and application for rectification of Register of Design along with the prescribed fees authorized or required may be filed, left. made or given to the branch offices also by the applicant.
- (4) The branch offices shall transmit such applications or documents along with the fees to the Head Office of the Patent Office for processing and prosecuting the same.

4. **Address for Service.** - Every applicant or opponent in any proceeding under the Act or these rules, and every person who shall hereafter become a registered proprietor of a design, shall give an address for service in India and such address may be treated, for all purpose connected with the design as the actual address of such applicant, opponent, registered proprietor. Unless such an address is given, the Controller shall be under no obligation either to proceed with the application or the opposition, or to send any notice that may be required by the Act or rules framed there under:

Provided that such address for service may include e-mail or digital address of the agent/applicant.

5. **Fees.**- (1) The fees to be paid in respect of the registration of designs, and application therefor, and in respect of other matters, with relation to Designs Act and rules framed there under, shall be those as specified in the First Schedule of the rules.
- (2) (a) Fees may be paid in cash at the office, or the same may be paid by Cheque or Demand Draft on a scheduled bank payable to the Controller at Calcutta and if sent through the post or registered post or speed post or courier service shall be deemed to have been paid at the time when properly addressed and prepaid letter containing the cheque would be delivered in the ordinary course of mail.
- (b) Cheques or Demand Drafts not carrying the correct amount of commission, and cheques or demand drafts on which the full value specified therein cannot be collected in cash within the time allowed for payment of the fee, shall be accepted only at the discretion of the Controller.
- (c) Stamps and Indian postal order shall not be accepted in payment of fees.

(d) Subject to the approval of the competent authority any applicant or an agent may deposit money in advance once in a financial year and request the Controller to realise any fee payable by him from the said deposit and in such case date of the receipt of the request to realise the fee or the date on which the request to realise the fee is deemed to have been received, which ever is earlier, shall be taken as date of payment of fee:

Provided that the requisite amount of money is available at the credit of the person making the request.

6. Forms. - (1) The forms set forth in the Second Schedule, with such variations, as the circumstances of each case require, shall be used for the purposes mentioned therein.

(2) When no form is so specified for any purpose, the applicant may adopt any form specified in the Second Schedule with such modification and variation as the controller may permit.

7. Size, etc., of documents. - (1) All documents and copies of documents except drawings or representation, sent to or filed, left at the Office or otherwise furnished to the Controller shall be written, typewritten, lithographed, or printed in the English/Hindi language (unless otherwise directed), in large and legible character with deep permanent ink upon one side only of strong white paper of A4 size with a margin of at least one inch and a half or four centimeters on the left hand part thereof. Signatures thereto shall be written in a large and legible hand and any signature which is not legible or which is written in a script other than English shall be accompanied by a transcription of the name in English in block letters.

(2) Additional copies of documents shall be filed at the Office, if at any time required by the Controller.

(3) Names and addresses of applicants and other persons shall be given in full together with their nationality and such other particulars, if any, as are necessary for identification.

8. Signature and verification of documents specified in sections 5, 12, 19 and 37. The documents specified in sections 5,12,19 and 37 of the Act shall be dated and signed at the foot, and shall contain a statement that the facts and matters stated therein are true to the best of the knowledge, information and belief of the person signing them.

9. **Agency.** -For all matters falling under the provisions of section 43 of the Act, applicant may, unless otherwise directed by the Controller, authorize under his personal signature, any person specified in section 43 to act as his agent and to receive all notices, requisitions and communications. The authority may be given in Form- 21.

10. **Classification of Goods.**- (1) For the purposes of the registration of designs and of these rules, article shall be classified as specified in the Third Schedule hereto.

(2) If any doubt arises as to the class to which any particular description of article belongs, it shall be determined by the Controller in consultation with the applicant wherever required.

Application for Registration

11. **Application.** - (1) An application under section 5 of the Act for the registration of a design shall be accompanied by four copies of the representation of the design and the application and each of copy of the representation of the design shall be dated and signed by the applicant or his agent.

(2) The application shall state the class in which the design is to be registered, and the article or articles to which the design is to be applied.

(3) If it is desired to register the same design in more than one class of article, a separate application shall be made in each class of article and the application shall contain the number or numbers of the registration or registrations already effected.

(4) If so required by the Controller, the applicant shall state purpose for which the article is used.

12. **Statement of novelty.** - The applicant may, and shall, if required by the Controller in any case so to do, endorse on the application and each of the representation a brief statement of the novelty he claims for his design.

13. **Additional copies of representation or specimens.** - If the controller in any case so requires, the applicant shall supply one or more representations or specimens of the design in addition to those supplied with the application.

- 14. Representation. -** (1) The four copies of the design required by rule 11 shall be exactly similar drawings, photographs, tracings or other representations of the design or shall be specimens of the design.
- (2) When a design is to be applied to a set, each representation accompanying the application shall show all the various arrangements in which it is proposed to apply the design to the articles included in the set.
- (3) Each representation of the design whether to be applied to a single article or to a set, shall be on durable paper of A4 size (and not on cardboard) and shall appear on one side only of the paper. The figure or figures shall be placed in an upright position on the sheet. When more figures than one are shown, these shall, where possible, be on one and the same sheet, and each shall be designated (e.g. perspective view; front view, side view).
- (4) When a design is to be applied to a set, any doubt whether the given articles do or do not constitute a set shall be determined by the controller.
- (5) If the specimens are not, in the opinion of the Controller, suitable for record in the office they shall be replaced by representations.
- (6) Where words, letters or numerals are not of the essence of the design, they shall be removed from the representations or specimens; where they are of the essence of the design, the Controller may require the insertion of a disclaimer of any right to their exclusive use.
- (7) Each representation of a design, which consists of a repeating surface pattern, shall show the complete pattern and a sufficient portion of the repeat in length and width, and shall not be of less size than 5 by 4 inches or 13.00 centimeters by 10.00 centimeters.
- (8) If the name or representations of living persons appear on a design the Controller shall, if he so requires, be furnished with consents from such persons before proceeding to register the design. In the case of deceased person, the Controller may call for consent from the legal representative before proceeding with registration of the design on which the names or representations appear.
- 15. Reciprocity application for the registration of a design. -** (1) Every reciprocity application for the registration of a design shall contain a statement that an application in United Kingdom or convention country or group of countries or inter-governmental organisation has been made for the protection of the design to which such reciprocity application relates and shall specify convention country or group of countries or inter-

governmental organisation in which any such application has been made and the official date or dates thereof respectively. The application shall be made within six months from the date of the first application in United Kingdom or convention country or group of countries or inter-governmental organisation by the person by whom such application in United Kingdom or convention country or group of countries or inter-governmental organisation was made, or by the legal representative or assignee of the person either alone or jointly with any other person.

- (2) In addition to the four copies of the representations of the design filed or left with every reciprocity application for the registration of a design, a copy of the design filed or deposited by the applicant or his predecessor in title as the case may be, in respect of the first application in United Kingdom or convention country or group of countries or inter-governmental organization, duly certified by the Official Chief or Head of the organization in which it was filed, or deposited or otherwise verified to the satisfaction of the Controller, shall be filed or left at the office at the same time as the reciprocity application or within such further time not exceeding three months as the Controller may allow.
- (3) Save as aforesaid and as provided by rule 30 all proceedings in connection with a reciprocity application shall be taken within the time and in the manner required by the Act or prescribed by these rules for ordinary application.

16. Manner in which a claim under sub-section (1) of section 8(1) shall be made.- (1)A

claim under sub-section (1) of section 8 shall be made in Form-2.

- (2) The original assignment or agreement or other document affecting right, title or interest in the application or an official or notarially certified copy thereof shall also be furnished for the Controller's inspection and the Controller may call for such other proof of title or written consent as he may require.

17. Acceptance.- Upon receipt of an application for registration, the Controller may accept it, if he considers that there is no lawful objection in the report of examiner to the design being registered.

18. Objections.- (1) If on consideration of the report of the examiner on the application referred under sub-section (1) of section 5, any objection appear to the Controller is adverse to the applicant or requires any amendment of the application, a statement of such objections shall be sent to the applicant or his agent in writing, and unless within three months from the date of official communication of objection the applicant or his agent removes the objection or applies for hearing, the applicant shall be deemed to have withdrawn his application:

Provided that the period for removal of the objection shall not exceed the time period of six months from the date of filing of the application.

(2) If the applicant or his agent applies for a hearing under sub-rule (1) within a period of three month from the date of communication of the statement of objections or if the Controller considers it desirable to do so, whether or not the applicant has refiled his application, fix a date for hearing having regard to the time remaining for completion of the application as provided under rule 21.

(4) When a hearing has been fixed under sub-rule (2) the applicant shall be given at least 10 days notice of such fixation or such shorter notice as appear to the Controller to be reasonable in the circumstances of the case and applicant shall as soon as possible notify the Controller whether he shall attend the hearing.

(4) Hearing, as required under sub-rules (1), (2) and (3) may be allowed whenever possible on phone followed by detailed submission on tele-fax/e-mail.

(5) After hearing the applicant or without a hearing if the applicant has not attended or has notified that he does not desire to be heard, the Controller may register or refuse to register the design as he thinks fit.

19. Decision of Controller. - The decision of the Controller containing the grounds and materials used by him in arriving the decision at such hearing as aforesaid shall be communicated in writing to the applicant or his agent

- 20. Date for appeal.** - The date on which the decision of the Controller is dispatched shall be deemed to be the date of the Controller's decision for the purpose of appeal.
- 21. Non-completion within six months.** - An application which owing to any neglect or default of the applicant, has not been completed so as to enable registration to be effected within six months from the date of application, shall be deemed to be abandoned.
- 22. Publication of the particulars of registered design under section 7.** -On acceptance of the design filed in respect of an application, the Controller shall direct the registration and publication of the particulars of the application and the representation of the article to which the design has been applied, in the Official Gazette. When publishing in the Gazette, the Controller may select one or more views of the representation of the design, which, in his opinion, would depict the design best
- 23. Manner of making an application under sub-section (2) of section 11.** - An application under sub-section (2) of section 11 shall be made in Form -3.
- 24. Restoration of Designs.**- (1)An application for the restoration of a design under section 12 shall be made in Form - 4.
- (2) Upon consideration of the application and the evidence adduced by the proprietor of the design, if any, if the Controller is satisfied that a prime facie case for the restoration of the design has not been made out he shall intimate the proprietor of the design accordingly, and unless within one month from the date of such intimation the proprietor requests to be heard in the matter, the Controller shall refuse the application.
- (3) If the registered proprietor requests for hearing within the time allowed and the Controller after giving the register proprietor such a hearing, is prima facie satisfied that the failure to pay the fee for extension of copy right was unintentional, he shall allow the application for restoration.

- 25. Payment of unpaid extension fee.** - (1) If the Controller decides in favour of the registered proprietor of the design, the proprietor shall pay the unpaid fees for the extension of copyright and additional fee specified in the First Schedule, within a month from the date of the order of the Controller allowing the proprietor for restoration of the design.
- (2) The Controller shall advertise in the Official Gazette his decision on the application for restoration.

Marking of Articles

- 26. Marking of articles before delivery on sale.** - Before delivery on sale of any article to which a registered design has been applied, the proprietor of such design shall cause each such article to be marked with the word **REGISTERED** or with the abbreviation **REGD.**, or with the abbreviation **RD**, as he may choose, and also (except in the case of articles made of soft or brittle in nature to which have been applied designs registered in different classes of articles) with the number appearing on the certificate of registration:

Provided that the requirements of this rule and clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Act shall be dispensed with as regards-

- (i) textile goods in which the design is printed or woven, other than handkerchiefs;
and
- (ii) articles made of charcoal dust, which are brittle and which are not sold in single pieces.

Inspections and Searches

- 27. Inspection of designs.** - Registered designs shall be open to public inspection after the notification of the said design in Official Gazette and the application together with representation of the design may be inspected on a request made in Form - 5.

- 28. Search under section 18.** - (1) Request for information as specified in section 18 of the Act may be made by any person in Form 6 with the fee as specified in the Schedule of fees and shall contain the registration number of the design for which information is required.
- (2) If the applicant is unable to furnish the registration number of the design, he shall lodge with the Controller, in Form 7 together with such information as is in his possession, and the Controller shall thereupon cause search to be made in the class indicated therein as much as be possible on the information supplied, and shall furnish such information as may be obtainable. Where Form 7 is accompanied by a representation or specimen of the design, such representation or specimen shall be furnished in duplicate.

Cancellation

- 29. Cancellation of registration of designs under section 19.** - (1) A petition to the Controller for the cancellation of the registration of a design shall be made in duplicate in Form - 8 and shall be accompanied by a statement in duplicate setting out the nature of the applicant's interest and the facts upon which he bases his application.
- (2) If the petition for the cancellation of the registration of a design is made by person who is not the registered proprietor, a copy of the petition along with the statement shall be transmitted by the Controller to the registered proprietor.
- (3) If the registered proprietor intends to oppose the application he shall within a time to be specified by the Controller, leave at the office a counter statement setting out the grounds on which he intends to oppose the application and shall, within the same time, deliver to the applicant a copy of the counter-statement.
- (4) The applicant may, after delivery to him of the copy of the registered proprietor's counter-statement, leave at the office, evidence by way of affidavits in support of his case and shall also deliver to the registered proprietor a copy thereof.
- (5) The registered proprietor may, after delivery to him of the applicant's evidence, leave at the office evidence by way of affidavits in support of his case and shall also deliver to the applicant a copy thereof.
- (6) The applicant may, after delivery to him of a copy of the registered proprietor's evidence, leave at the Office evidence in reply by way of affidavits and shall also deliver to the registered proprietor a copy of such evidence.

- (7) No further statement of evidence shall be left by either party except by leave of or on requisition by the Controller.
- (8) Where a document is in a language other than English and is referred to in any statement or evidence filed in connection with an petition under section 19 or opposition thereto, an attested translation thereof in English shall be furnished in duplicate.
- 9) The time allowed for filing the counter-statement or for leaving evidence shall ordinarily be one month which may be extended only by a special order of the Controller given on a petition made by party seeking extension of time:

Provided that the extension so granted shall in no case exceed three months in aggregate.

- (10) On completion of the filing of the statement and the evidence referred to sub-rules (3) to (8) or at such other time as he may decide, the Controller shall appoint a hearing of the petition for cancellation and shall give the parties not less than ten days' notice of such hearing.
- (11) If either party desires to be heard, he shall give to the Controller a notice in Form 20 of his intention to attend the hearing.
- (12) If, at the hearing, either party intends to refer to any publication, he shall give to the Controller and to the other party not less than five days' notice of such intention, together with the details of the publication to which he intends to refer.
- (13) After hearing the party or parties desirous of being heard or without a hearing, if neither party desires to be heard or attends the hearing, the Controller shall decide on the petition and the opposition, if any, and notify his decision to the parties.

GENERAL

Register of Designs

- 30. Registering designs.-** (1) When a design is accepted, there shall be entered in the Register of Design, in addition to the particulars required by the Act, the number of the design, the class in which it is registered, the date of filing the application for registration in this country, the reciprocity date, if any, claim for the registration, and such other matters as would effect the validity or proprietorship of the design.

(2) When such Register of Design is maintained wholly or partly on computer under floppies or diskettes, such computer floppies or diskettes shall be maintained under superintendence and control of Controller and in case of any dispute or doubt with regard to information of designs, the information as contained in the backup file or master file shall be final.

(3) Where the accepted design is one in respect of which a reciprocity date has been allowed, the registration, the extension or the expiration of the copyright in the said design shall be reckoned from such reciprocity date.

31. Alteration of address.- A proprietor of a registered design may make a request in Form 22 to the Controller for alteration of his name, or address, or addresses for service, in the Register of Design. The Controller may require such proof of alteration so requested as he may think fit before acting on the request and on satisfaction, the Controller shall cause the Register to be altered accordingly.

32. Registration of documents under sub-section (3) of section 30.- An application referred to in sub-section (3) of section 30 shall be made in Form- 10.

33. Application for entry of subsequent proprietorship.- An application referred to in sub-section (1) or (2) of the section 30 shall be made to the Controller in Form 11 or 12 or 13 as the case may be.

34. Particulars in applications.- An application under rule 33 shall contain the name, address and nationality of the person claiming to be entitled, together with full particulars of the instrument, if any, under which he claims.

35. Production of documents of title and other proof.- Every assignment, and every other document containing, giving effect to or being evidence of the transmission of copyright in a registered design or affecting the proprietorship thereof or creating an interest therein as claimed in application under rule 33 shall unless the Controller otherwise directs, be presented to him either in original, or notarially certified true copy together with the

application and he may call for such other proof of title or written consent as he may require for his satisfaction:

Provided that in the case of a document which is a public document, an official or certified copy thereof may be presented.

36. Form of entry.- The entry to be made in the Register on request under rule 34 shall be in the following form :-

“In pursuance of an application received on the

[.....]

Registered as Proprietors
 Licensees
 Mortgagees
 etc.

By virtue of Assignment
 Licence
 Mortgage deed
 etc.

dated _____ and made between _____
 of the one part and _____
 of the other part.

37. Entry of notification of documents.- An application for entry in the Register of Design of notification of any document (not already provided for), purporting to affect the proprietorship of a registered design, shall be accompanied by an attested copy of the document, the accuracy of such copy being certified as the Controller may direct, and the original or notarially certified true copy of the document shall at the same time be produced and left at the Office if required for further verification.

38. Hours of inspection of Register.- The Register of Designs shall be open to the inspection of the public at all times on which the Office is open to the public, except at times when they are required for actual official use.

39. Rectification of Register.- If an application is made for the rectification of the Register of Design under section 31 of the Act, the Controller shall notify all persons whose names,

at the time of the application are entered on the Register as claiming an interest in the design, and shall advertise the application in the Official Gazette.

40. Opposition to rectification.- (1) Notice of opposition to any rectification of the Register of Design may be given within three months of the advertisement of the application for rectification.

(2) The opponent shall, within fourteen days of giving notice of opposition, leave at the office his written statement in duplicate setting out the nature of his interest, the facts upon which he bases his opposition and the relief, which he seeks.

(3) The Controller shall furnish the applicant with a copy each of the notice of opposition and the written statement.

(4) The procedure specified in sub-rules (4) to (13) for rule 29 relating to leaving evidence and hearing shall, so far as may be, apply to the hearing of the application under section 31 as they apply to the hearing of a petition under section 19.

CERTIFICATES

41. Certified copies of documents. - Certified copies of an entry in the Register of Design or certified copies of, or extracts from disclaimers, affidavits, declarations and other public documents in the Office, or from Register and other records, shall be furnished by the Controller on payment of the prescribed fee.

42. Form etc. of affidavits. - (1) The affidavits required by the Act and these rules, or used in any proceedings thereunder, shall be headed in the matter or matters to which they relate, shall be drawn up in the first person, and shall be divided into paragraphs consecutively numbered; and each paragraph shall, as far as possible, be confined to one subject. Every affidavit shall state the description and true place of abode of the person making the same, shall bear the name and address of the person leaving it and shall state on whose behalf it is left.

(2) Affidavits shall be confined to such facts as the deponent is able of his own knowledge to prove, except on interlocutory applications, on which statements of his belief may be admitted, provided that the grounds thereof are stated.

(3) Affidavits shall be sworn to as follows :-

- (a) In India, before any court or person having by law authority to receive evidence, or before any officer empowered by such court or person as aforesaid to administer oaths or to take affidavits;
 - (b) In any country or place outside India, – before a diplomatic or consular office, within the meaning of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) in such country or place or before a notary of the country or place, recognized by the Central Government under section 14 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), or before a judge or magistrate of the country of place.
- (4) The person before whom an affidavit is sworn shall state the date on which and the place where the same is sworn to and shall affix thereto his seal, if any, or the seal of the court if the affidavit is sworn to before the court or an officer empowered by that court and signed his name and state his designation and address at the end thereof.
 - (5) Any affidavit purporting to have affixed, impressed or subscribed thereto or thereon the seal or signature of any person authorized under sub-rule (3), in testimony of the affidavit having been sworn to before him, may be admitted by the Controller without proof the genuineness of the seal or signature, or of the official position of that person.
 - (6) Alterations and interlineations shall, before an affidavit is sworn to or affirmed be authenticated by the initials of the person before whom the affidavit is sworn to.
 - (7) Where the deponent is illiterate, blind or unacquainted with the language in which the affidavit is written, a certificate by the person before whom the affidavit is sworn to, the effect that the affidavit was read, translated or explained in his presence to the deponent, and the deponent seemed perfectly to understand it and has signed the affidavit or affixed his mark in his presence, shall be attached at the end of the affidavit.
 - (8) Every affidavit filed before the Controller in connection with any proceeding under the Act or these rules shall be duly stamped under the provision of any law for that time being in force.

AWARD OF COST BY CONTROLLER

43. Scale of Costs. - In all proceedings before the Controller, the Controller may, save as otherwise expressly provided by the Act or these rules, award such costs as he considers reasonable, having regard to all circumstances of the case provided that the amount of costs awarded in respect of any matters set forth in the Fourth Schedule to these rules shall not exceed the amount therein specified.

MISCELLANEOUS POWERS OF CONTROLLER

44. Exercise of discretionary power of Controller, miscellaneous power of Controller. -

The time within which a person entitled under section 33 of the Act, to an opportunity of being heard shall exercise his option of requiring to be heard shall be one month from the date of a notice which the Controller shall give to such person or his agent before determining the matter with reference to which such person is entitled to be heard. If within that month such person or his agent requires to be heard, the Controller shall appoint a date for the hearing and shall give ten days notice thereof:

Provided that if the giving of ten day's notice would cause an application for the registration of design to be deemed to have been abandoned before the hearing, the Controller may curtail the period of notice.

45. Controller may require statement. - Whether an applicant or agent desires to be heard or not, the Controller may at any time require him to submit a statement in writing within a time to be notified by the Controller, or to attend before him and make explanations with respect to such matters as the Controller may require.

46. General Power of amendment. - Any document for the amending of which no special provision is made by the Act may be amended, and any irregularity in procedure which, in the opinion of the Controller, may be obviated without detriment to the interest of any person, may be corrected if the Controller thinks fit, and upon such terms as he may direct.

47. General Power to enlarge time. - The time prescribed by these rules for doing any act or taking any proceeding thereunder may be enlarged by the Controller, if he thinks fit, and upon such terms as he may direct.

REPEAL

48. **Repeal.** - The Designs Rules, 1933 are hereby repealed:

Provided that any application or other matter pending under those rules on the date of the coming into force of these rules shall be disposed of under those rules.

THE FIRST SCHEDULE

See rule 5 FEES			
No. of Entry	on what payable	No. of form	Fee (Rs.)
1.	On application for registration of design under sections 5 and 44.	1	1000.00
2.	On claim under section 8(1) to proceed as an applicant or joint applicant.	2	500.00
3.	On application for extension of copy right under section 11(2).	3	2000.00
4.	On application for restoration of lapsed design under section 12(2).	4	1000.00
5.	Additional fee for restoration.	—	1000.00
6.	Inspection of registered design under section 17(1).	5	500.00
7.	On request for information of design when registration no. given under Section 18.	6	500.00
8.	On request for information of design when registration no. not given.	7	1000.00
9.	On petition for cancellation of design under section 19.	8	1500.00
10.	Notice of intended exhibition or publication of an unregistered design under section 21.	9	500.00
11.	Application for registration of a document in Register of Design under section 30(3), - in respect of one design. for each additional design.	10	500.00 200.00
12.	On application for entry of name of proprietor or part proprietor in Register of Design under section 30,- in respect of one design. for each additional design.	11	500.00 200.00

No. of Entry	on what payable	No. of form	Fee
13.	On application for entry of mortgage or licence in Register of design under section 30 in respect of one design. for each additional design.	12	500.00 200.00
14.	Application for entry of notification of a document in the Register of Design under section 30 and rule 37,- In respect of one design. for each additional design.	13	500.00 200.00
15.	On request for correction of clerical error under section 29.	14	500.00
16.	On request for certificate under section 26 and rule 41.	15	500.00
17.	On application for certified copy of registered design under section 17(2)	16	500.00
18.	On application for rectification of Register of Design under section 31.	17	500.00
19.	On application for extension of time for filing priority document under rule 15.	18	200.00 (per. month)
20.	On notice of opposition under rule 40.	19	100.00
21.	Notice of intention to attend hearing under rules 29 and 40.	20	500.00
22.	Form for authorisation of agent or other person.	21	—
23.	On request to alter name or address or address for Service in the Register of Design under rule 31.	22	200.00
24.	On request for entries of two addresses in the Register of Design.	23	200.00
25.	On petition under rule 46 for amendment of any document.	—	500.00
26.	On petition under rule 47 for enlargement of time.	—	500.00
27.	Inspection of Register of Design under rule 38 (in respect of each design).	—	250.00

THE SECOND SCHEDULE*(See rule 6)***List of forms**

Form No.	Section or Rule	Title
1	Sections 5 and 44	Application for registration of design/Application under reciprocal arrangement.
2	Section 8(1)	Claim to proceed as an applicant or joint applicant.
3	Section 11(2)	Application for Extension of copyright.
4	Section 12(2)	Application for Restoration of lapsed design
5	Section 17(1)	Inspection of registered design
6	Section 18	Request for information when registration number is given.
7	Section 18	Request for information when registration number is not given.
8	Section 19	Petition to cancel registration of design.
9	Section 21	Notice of intended exhibition or publication of unregistered design.
10.	Section 30(3)	Application for registration of a document in the Register Design.
11	Section 30	Application for entry of name of proprietor or part proprietor in the Register
12	Section 30	Application for entry of mortgage or licence in the Register.
13.	Section 30 and rule 37	Application for entry of notification of a document in the Register.
14	Section 29	Request for correction of clerical error.
15	Section 26 and rule 41	Request for certificate.
16	Section 17(2)	Application for certified copy of registered design.
17	Section 31	Application for rectification of Register.
18	rule 15	Application for extension of time for filing priority document.
19	rule 40	Notice of opposition.
20	rules 29 and 40	Notice of intention to attend hearing.
21	Section 43	Power of authority to agents.
22	rule 31	Request to alter name or address or address for service in Register
23	Section 10	Request for entries of two addresses in the Register

FORM 1
FEE Rs. 1000

**Application for registration of designs.
section 5 and 44**

You are requested to register the accompanying in

¹Insert number of class

Class No.¹..... in

²Insert (in full) the name
address and nationality

the name of ²
.....
.....
.....
..... who claim(s) to be the proprietor(s)
thereof.

³State whether drawings,
photographs, tracings
or specimens.

Four exactly similar³of the design
accompany this request.

⁴Insert name of article or
articles to which the design
is to be applied or state
trade description of each
of the articles contained in
the set

The design is to be applied to⁴

⁵Strike out these words if
previous registration
has been effected.

⁵The design has been previously registered in Class(es).
..... Under No.

Details of first application in UK or convention country or group
of countries or inter-governmental organisation.

(i) Name of country.

(i) Official date.

(ii) Official number.

⁶Unless an address for
service in India in given,
the request may not be
considered.

Address for service⁶ in India is -

.....
.....

Declaration:

The applicant claims to be the proprietors of the design and that
to the best of his knowledge and belief the design is new or
original.

Dated this Day of 19

(Signed)⁷.....

⁷To be signed by the
applicant or by autho-
rised agent.

TO

**THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

* Strike out the words if no previous registration or priority claim has been effected

FORM 2

Fee Rs. 500

**CLAIM UNDER SECTION 8(1) TO PROCEED
AS AN APPLICANT OR JOINT APPLICANT**¹ State name, address
and nationality of
claimants.I (or We)¹ _____hereby request that the application for Design no.
_____ of _____ dated _____
made by² _____² State the name of

the applicant(s)
for Design._____ may proceed in the name(s) of³ _____³ Insert (in full) name,
address and nationality
of the person(s) in whose
name(s) it is requested
that the application shall
proceed.I/we claim to be entitled to proceed as applicant(s) for
the Design virtue of⁴ _____⁴ Give particulars of such
document giving its date,
the parties there of and
showing how the claim
here made is substantiated.⁵ State the nature of the
document (copy).And in the proof whether I/We transmit the accompa-
nying⁵ _____

My/Our address for service in India is :-

⁶ To be signed by the
claimant(s)_____
_____⁷ State name address and
nationality of the applicant.

Dated this _____ day of _____ 19

Signature⁸⁸ To be signed by applicant(s)I/We⁷
or authorised agent.
(Signature)⁸ _____

_____ consent to the above request.

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.****Note:** Strick out which ever is inapplicable

FORM 3
FEE Rs. 2000

APPLICATION TO EXTEND COPYRIGHT.

Section 11

¹Insert number of design.

You are requested by the undersigned who is/are the

registered proprietor(s) of the Design No. ¹ _____

²Insert Class.

registered in Class ² _____ to extend the period
of copyright for a period of five years.

Address for service in India is :-

Dated this _____ day of _____ 2000

³To be signed by the
applicant or authorised
agent.

(Signed) ³ _____

TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.

FORM 4

FEE Rs. 1000

APPLICATION FOR THE RESTORATION
OF DESIGN UNDER SECTION 12(2)

[See rule 24]

¹ Insert the name (in full),
address and nationality
of applicant(s).

I (or/we)¹ _____
Hereby apply for an order of the Controller for the
restoration of Design No. _____
_____ of _____

² State the last date when
fee was due.

dated _____ granted to _____

³ To be signed by the
applicant(s) or if the
applicant(s) is/are absent
from India, by authorised
agent.

The circumstance which led to the failure to pay the
extension fee of Rs. _____ on or before the²
_____ day of _____ are as
follows :-

I/we declare that I/We have not assigned the Design to
any other person(s) and that the fact and matters stated
herein are true to the best of my/our knowledge, infor-
mation and belief.

My/our address for service in India is :-

Dated this _____ day of _____ 19

(Signature)³ _____

TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.

Note : Strike out whichever is inapplicable.

FORM 5**Request for inspection under section 17(1)**

Fee Rs. 500

¹ Insert name and address
and nationalityI (or We)¹ _____² Insert the number and
class of the Design.hereby request to inspect the Design No.² _____

in Class _____ as I/We am/are entitled

under section 17(1) of the Design Act 2000.

Address for service in India is :-

Dated this _____ day _____ 2000

³ To be signed by the
applicant or authorised
agent.(Signed)³ _____**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 6

FEE Rs. 500

REQUEST FOR SEARCH UNDER SECTION 18

When registration number is supplied.

Insert number of design.

I hereby request that I may be given such information as I may be entitled to under section 18 of the Designs Act, 2000, with respect to the design registered under.

No.¹ _____

Address for service in India is :-

Dated this _____ day of _____ 2000

² To be signed by the applicant or authorised agent.

(Signed)² _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 7

FEE Rs. 1000

REQUEST FOR SEARCH UNDER SECTION 18

When registration number is not supplied.

¹Insert number of class.I hereby request that a search may be made in Class¹ _____

_____ in respect of the design (annexed hereto in

duplicate) and that I may be given such information as I may be entitled to under section 18 of the Designs Act, 2000.

Address for service in India is :-

Dated this _____ day of _____ 2000

²To be signed by the applicant or authorised agent.(Signed)² _____

Address _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 8

FEE Rs. 1500

**PETITION FOR CANCELLATION FOR THE
REGISTRATION OF A DESIGN UNDER
Section 19**

¹Insert (in full) name, address and nationality. Design No. _____ in Class _____
I (or we)¹ _____

hereby apply that the registration of design No. _____
in Class _____ may be cancelled on the grounds:

*Strike out when
not applicable

- (1)* that the design has been previously registered in India
(2)* that it was published in any country prior to the date of registration.
(3)* _____
(4)* _____
(5)* _____

Address for service in India:

Dated this _____ day of _____ 19

²To be signed by the applicant or authorised agent.

(Signed)² _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 9

FEE Rs. 500

Notice of intended exhibition of publication of an
unregistered design. section 21¹Insert (in full) name, and
addressI (or We)¹

hereby give notice of my (or our) intention -

(a) to exhibit a
of at the²State "opened" or "is to open"Exhibition, which² on the
..... Day of under the
provisions of the Designs Act, 2000.³Insert the name and
address.(b) to publish my (or our) Design for
by reading a paper before³ on
the and/or permitting⁴Insert within the brackets the
official name of the transaction.publication of the paper in the society's transactions⁴
(.....).⁵Enclose brief description of
design by, or the design with
sketch, drawing or specimen.I (or We) herewith enclose a brief description of my (or
our)⁵

Dated this Day of19

⁶To be signed by the
applicant or by autho-
rised agent.(Signed)⁶**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 10

Fee **

**APPLICATION FOR REGISTRATION OF A
DOCUMENT IN THE REGISTER OF DESIGN
section 30 (3)**

1 Insert the name (in full)
address and nationality.

I (or We)¹ _____

2 State the nature of the
document, the parties to
the same and date of its
execution.

hereby apply for the registration of a document the details of
which are given below in respect of Design No.(s) _____
_____ of _____
Dated _____ granted to _____
and of which the proprietors of Design is _____
_____ in the Register of Designs:

2

My/Our address for service in India is:

Dated this _____ day of _____ 2000

³To be signed by the
applicant(s) or
authorised agent.

(Signed)¹ _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGN,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

Note: If the application is in respect of more than one design, the numbers thereof as well as other particulars required may be given in a separate schedule which should be attached to this form.

** In respect of one Design Rs. 500.00
For each additional Design Rs. 200.00

FORM 11

Fee **

**APPLICATION FOR ENTRY OF NAME
PROPRIETOR OR PART PROPRIETOR IN REGISTER OF
DESIGNS
section 30**

¹Insert (in full) name,
address and nationality

I (or we)¹ _____

_____ hereby apply that you will enter my (or our) name (or names) in
the Register of designs as proprietor (or part proprietor) of

_____ granted to² _____

²Give name and address
of person(s) to whom
patent was granted.

_____ of the registered Design(s) No.(s)* _____ Class _____

³Specify the particulars of
such document giving its
date, and the parties to
the same, and showing how
the claim here made is
substantiated.

I (or we) claim to be entitled by virtue of³ _____

And in proof whereof I (or we) transmit the accompanying⁴

_____ with an attested copy thereof.

⁴Insert the nature of the
document.

My (or Our) address for service in India is :-

_____ Dated this _____ day of _____ 2000

⁵To be signed by the
applicant or authorised
agent.

(Signed)⁵ _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

NOTE: * If the application is in respect of more than one design, the numbers thereof as well as the other particulars required may be given in a separate schedule which should be attached to this Form.

** In respect of one Design Rs. 500/-
For additional Design Rs. 200/-

FORM 12

Fee**

**APPLICATION FOR ENTRY OF A MORTGAGE OR
LICENCE IN REGISTER OF DESIGNS
Section 30**

¹Insert (in full) name,
address and nationality.

I (or we)¹ _____

_____ hereby apply that you will enter in the Register of Designs a notice of the following interest.

²Insert the nature of the claim, whether by way of mortgage or licence.

I (or we) claim to be entitled² _____

_____ to an interest.

³Specify the particulars of such document giving its date, and the parties to the same, and showing how the claim here made is substantiated.

_____ in the Registered Design(s) No.(s)* _____

Class _____ by virtue of³ _____

And in proof whereof I (or we) transmit the accompanying⁴

_____ with an attested copy thereof.

⁴Insert the nature of the document.

My (or Our) address for service in India is :-

_____ Dated this _____ day of _____ 2000

⁵To be signed by the applicant or authorised agent.

(Signed)⁵ _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

NOTE: * If the application is in respect of more than one design, the numbers thereof as well as the other particulars required may be given in a separate schedule which should be attached to this Form.

** In respect of one Design Rs. 500/-
For each additional Design Rs.200/-

FORM 13

FEE **

**APPLICATION FOR ENTRY OF NOTIFICATION OF
DOCUMENT IN REGISTER OF DESIGNS****Section 30 and rule 37**

¹Insert a description of the nature of the document, giving its date and the names, address and nationality of the parties thereto.

I (or we) transmit herewith an attested copy of _____

under the Design(s) No.(s) _____ of _____
as well as the original document for verification, and I (or we) apply that a notification thereof may be entered in the Register.

²Insert full address of party benefiting under the document.

Dated this _____ day of _____ 2000

³To be signed by the applicant or authorised agent.

(Signed) _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

NOTE. --FEE: --

** In respect of one design Rs. 500/-

For each additional design Rs. 200/-

FORM 14

FEE Rs. 500

REQUEST FOR CORRECTION OF CLERICAL ERROR**Section 29**

¹Insert (in full) name, address and nationality.

I (or we)¹ _____

hereby request that the following clerical error(s) _____

²Specify the document in which the error occurs.

In the² _____

No. _____ of _____, may be corrected in the manner shown in red ink in the official copy of the original²

hereunto annexed.

My (or our) address for service in India is:

³To be signed by the applicant or authorised agent.

Dated this _____ day of _____ 2000
 (Signed)³ _____

**TO
 THE CONTROLLER OF DESIGNS
 THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 15

FEE Rs. 500

REQUEST FOR CERTIFIED COPY UNDER SECTION 26 AND

RULE 41

¹Insert number and class of design. In the matter of Design No¹ _____
 Class _____

²Insert name, address and nationality. I (or we)² _____
 hereby request you to furnish me (or us) _____

³Set out the particulars which the Controller is requested to certify. with your certificate to the effect that³ _____

and to send the certificate to _____

The purpose for which the certificate is required is as _____
 follows : _____

Dated this _____ day of _____ 2000

⁴To be signed by the applicant or authorised agent.

(Signed)⁴ _____

**TO
 THE CONTROLLER OF DESIGNS,
 THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 16

Fee Rs. 500

**APPLICATION FOR CERTIFIED COPY OF THE
REGISTERED DESIGN****Section 17 (2)**

¹Insert name, address
and nationality.

I/we¹ _____

hereby request you to furnish me (or us) a certified copy of the
following design.

²Insert number and
class of design

Design No.² _____ Class _____

In the name of³ _____

³Insert the name of
proprietor of the Design.

My/Our address for service in India is:

Dated this _____ day of _____ 2000

⁴To be signed by the
applicant(s) or
authorised agent.

(Signed)⁴ _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGN,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 17

FEE Rs. 500

**RECTIFICATION OF REGISTER
Under Section 31**

¹Insert name, address and nationality. I (or we)¹ _____

²Insert number and date of hereby request that the Register of Designs may be rectified in the following manner in respect of Design No².

 dated the _____

My (or our) reasons for making this application are as follows:

I (or we) declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my (or our) knowledge, information and belief.

My (or our) address for service in India is:

Dated this _____ day of _____ 19____

³To be signed by the applicant or authorised agent.

(Signed)³ _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 18

FEE*

APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME**[See rule 15]**¹Insert (in full) name
address and nationality.I (or We)¹ _____

hereby apply for _____ months' extension of time :-

²Quote number and year
of application of designUnder Rule 15 for leaving a certified copy of the design filed
with the British or convention or group of countries or Inter
governmental organisation application in respect of design

application No. _____

The reason for making this application are as follows :-

My (or Our) address for service in India is :-

Dated this _____ day of _____ 2000

³To be signed by the
applicant or authorised
agent.(Signed)³ _____

TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.

* Rs. 200/- per month.

FORM 19

Fee Rs. 100

NOTICE OF OPPOSITION**(See rule 40)****(To be supplied, in duplicate).**

¹Insert (in full) name and address of applicant or applicants.

I (or we)¹ _____

hereby give notice of my (or our) intention to oppose:

²Insert number and date.

(g) Under Rule 41, the rectification of the Design in respect of The Design No. ² _____

³Insert name of applicant, grantee or proprietor.

filed by³ _____

granted to _____

registered in the name(s) of _____

⁴Insert grounds and short statement of the facts of the case.

The grounds of opposition are as follows:

⁴ _____

My / Our address for service in India is:

Dated this _____ day of _____ 2000

⁵To be signed by the applicant(s) or authorised agent.

(Signed)⁵ _____

TO
THE CONTROLLER OF DESIGN,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.

FORM 20

FEE Rs. 500

NOTICE OF INTENTION TO ATTEND HEARINGS.

[See rules 29 and 40]¹Insert (in full) name and address.I (or We)¹ _____

_____²Insert particularshereby give notice that the hearing in reference to² _____

will be attended by myself (or ourselves), or by some person on my (or our) behalf.

Dated this _____ day of _____ 2000

³To be signed by the applicant or authorised agent.(Signed)³ _____**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 21

To be stamped under the
Indian Stamp Act.

POWER OF AUTHORITY TO AGENT**Section 43**

¹State particulars

In connection with¹ _____

²Insert name and address of
Agent.

I (or we) hereby authorised² _____

_____ of _____

to act as my (or our) Agent and to receive all notices,
requisitions and communications until further notice.

³Strike out not required

³And I (or we) revoke the previous authority

⁴Insert name of Agent
whose authority is
canceled.

given by me (or us) to⁴ _____

in this matter.

Dated this _____ day of _____ 2000

⁵To be signed by the
applicant with official
seal and designation of
the signatory.

(Signed)⁵ _____

TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.

FORM 22

FEE Rs. 200

NOTICE OF ALTERATION OF ADDRESS OR NAME OR
AN ADDRESS FOR SERVICE IN THE
REGISTER OF DESIGNS.

RULE 31

In the matter of Design No. _____

Class _____

¹Insert (in full) name and
address

I (or We)¹ _____

hereby request that _____ name, address (or
_____ address for service) now upon the Register
of Designs may be altered to² _____

²Insert name or full address.

Address for service in India is:

Dated this _____ day of _____ 19

³To be signed by the
applicant or authorised
agent.

(Signed)³ _____

**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

FORM 23

Fee Rs. 200

**REQUEST FOR ENTRY OF TWO ADDRESSES FOR
SERVICE IN REGISTER OF DESIGNS****Section 10**¹Insert (in full) name and
address.

In the matter of Design No. _____ Class _____

I (or we)¹ _____

_____hereby request that the two following addresses for service by
may be entered in the Register of Designs.²Insert full address(a)² _____
_____(b)² _____

Dated this _____ day of _____ 19

³To be signed by the
applicant or authorised
agent.(Signed)³ _____**TO
THE CONTROLLER OF DESIGNS,
THE PATENT OFFICE, CALCUTTA.**

THE THIRD SCHEDULE***Classification of Good*****(See rule 10)****List of Classes and Subclasses, with Explanatory Notes****CLASS 01****Foodstuffs**

Note: (a) Includes foodstuffs for human beings, foodstuffs for animal and dietetic foods.

(b) Not including packages (Cl. 09).

01-01 BAKERS' PRODUCTS, BISCUITS, PASTRY, MACARONI AND OTHER CEREAL PRODUCTS. CHOCOLATES, CONFECTIONERY, ICES

01-02 FRUIT AND VEGETABLES

01-03 CHEESES, BUTTER AND BUTTER SUBSTITUTES, OTHER DAIRY PRODUCE

01-04 BUTCHER'S MEAT (INCLUDING PORK PRODUCTS), FISH

01-05 [vacant]

01-06 ANIMAL FOODSTUFFS

01-99 MISCELLANEOUS

CLASS 02**Articles of clothing and haberdashery**

Note: Not including articles of clothing for dolls (Cl. 21-01), special equipment for protection against fire hazards, for accident prevention and for rescue (Cl. 29), and animal clothing (Cl. 30-01).

02-01 UNDERGARMENTS, LINGERIE, CORSETS, BRASSIERES, NIGHTWEAR

Note: (a) Including orthopedic corsets and body linen.

(b) Not including household linen (Cl. 06-13).

02-02 GARMENTS

Note: (a) Includes all sorts of garments, including furs, bathing costumes, sports clothing and orthopedic garments, subject to the exceptions indicated under (b).

(b) Not including undergarments (Cl. 02-01), or garments to be placed in Classes 02-03; 02-04; 02-05 or 02-06.

02-03 HEADWEAR

Note: Includes all kinds of headwear for men, women and children.

02-04 FOOTWEAR, SOCKS AND STOCKINGS

Note: Including special boots for sports such as football, skiing and ice hockey, orthopedic footwear and socks, as well as tights, gaiters and other legwear.

02-05 NECKTIES, SCARVES, NECKERCHIEFS AND HANDKERCHIEFS

Note: Includes all "flat" clothing accessories.

02-06 GLOVES

Note: Includes surgical gloves and rubber or plastic protective gloves for household use or for various occupations or sports.

02-07 HABERDASHERY AND CLOTHING ACCESSORIES

Note: (a) Including buttons, clasps for garments, for headwear and for footwear, laces, pins, hand sewing, knitting and embroidery equipment and clothing accessories such as bells, suspenders, braces.

(b) Not including yarns or other threads (Cl. 05-01), decorative trimmings (Cl. 05-04), sewing, knitting and embroidery machines (Cl. 15-06) or sewing kits (containers) (Cl. 03-01).

02-99 MISCELLANEOUS

CLASS 03**Travel goods, cases, parasols and personal belongings, not elsewhere specified**

03-01 TRUNKS, SUITCASES, BRIEFCASES, HANDBAGS, KEYHOLDERS, CASES SPECIALLY DESIGNED FOR THEIR CONTENTS, WALLETS AND SIMILAR ARTICLES

Note: Not including articles for the transport of goods (Cl. 09) or cigar cases and cigarette cases (Cl. 27-06).

03-02 [vacant]

03-03 UMBRELLAS, PARASOLS, SUNSHADES AND WALKING STICKS

03-04 FANS

03-99 MISCELLANEOUS

CLASS 04**Brushware**

04-01 BRUSHES AND BROOMS FOR CLEANING

Note: Not including clothes brushes (Cl. 04-02).

04-02 TOILET BRUSHES, CLOTHES BRUSHES AND SHOE BRUSHES

Note: "Toilet brushes" means brushes for corporal use; for example, for the hair, nails or teeth.

04-03 BRUSHES FOR MACHINES

Note: "Brushes for machines" means brushes incorporated in machines or in special vehicles.

04-04 PAINTBRUSHES, BRUSHES FOR USE IN COOKING

04-99 MISCELLANEOUS

CLASS 05**Textile piecegoods, artificial and natural sheet material**

Note: (a) Includes all textile or similar articles, sold by the yard and not made up.
(b) Not including ready-made articles (Cl. 02 or 06).

05-01 SPUN ARTICLES

Note: (a) Including yarn and thread.

(b) Not including, for instance, rope wire, string, twine (Cl. 09-06).

05-02 LACE

05-03 EMBROIDERY

05-04 RIBBONS, BRAIDS AND OTHER DECORATIVE TRIMMINGS

05-05 TEXTILE FABRICS

Note: (a) Including textile fabrics, woven, knitted or otherwise manufactured, tarpaulins, felt and loden.

05-06 ARTIFICIAL OR NATURAL SHEET MATERIAL

Note: (a) Includes sheets whose only characteristic features are their surface ornamentation or their texture; in particular, covering sheets such as wallpaper, linoleum, self-adhesive plastic sheets, wrapping sheets and rolls of paper, subject to the exceptions indicated under (b).

(b) Not including writing paper, even in rolls (Cl. 19-01), or sheets used as building components such as wall panels and wainscoting (Cl. 25-01).

05-99 MISCELLANEOUS

CLASS 06

Furnishing

Note: (a) Composite furniture articles embodying components includes in several subclasses are classified in Class 06-05.
 (b) Sets of furniture, as far as they can be looked upon as one design, are classified in Class 06-05.
 (c) Not including textile piecegoods (Cl. 05)

06-01 BEDS AND SEATS

Note: Including mattress supports and vehicle seats.

06-02 [vacant]

06-03 TABLES AND SIMILAR FURNITURE

06-04 STORAGE FURNITURE

Note: Including cupboards, furniture with drawers or compartments, and shelves.

06-05 COMPOSITE FURNITURE

06-06 OTHER FURNITURE AND FURNITURE PARTS

06-07 MIRRORS AND FRAMES

Note: Not including mirrors included in other classes (see Alphabetical List).

06-08 CLOTHES HANGERS

N.B. The French text contains a note which does not concern the English text.

06-09 MATTRESSES AND CUSHIONS

06-10 CURTAINS AND INDOOR BLINDS

06-11 CARPETS, MATS AND RUGS

06-12 TAPESTRIES

06-13 BLANKETS AND OTHER COVERING MATERIALS, HOUSEHOLD LINEN AND NAPERY

Note: Including furniture covers, bedspreads and table covers.

06-99 MISCELLANEOUS

CLASS 07**Household good, not elsewhere specified**

Note: (a) Including household appliances and utensils operated by hand, even if motor driven.

(b) Not including machines and appliances for preparing food and drink (Cl. 31).

07-01 CHINA, GLASSWARE, DISHES AND OTHER ARTICLES OF A SIMILAR NATURE

Note: (a) Includes dishes and crockery in all materials; in particular, paper and cardboard dishes.

(b) Not including cooking utensils and containers, such as glass and earthenware pots (Cl. 07-02), or flower vases, flower pots and china glassware of a purely ornamental nature (Cl. 11-02).

07-02 COOKING APPLIANCES, UTENSILS AND CONTAINERS

07-03 TABLE KNIVES, FORKS AND SPOONS

07-04 APPLIANCES AND UTENSILS, HAND-MANIPULATED, FOR PREPARING FOOD OR DRINK

Note: Not including appliances and utensils classified in Class 07-02 and in Class 31.

07-05 FLATIRONS AND WASHING, CLEANING AND DRYING EQUIPMENT

Note: Not including electric household appliances for washing, cleaning or drying (Cl. 15-05).

07-06 OTHER TABLE UTENSILS

07-07 OTHER HOUSEHOLD RECEPTACLES

07-08 FIREPLACE IMPLEMENTS

07-99 MISCELLANEOUS

CLASS 08**Tools and hardware**

Note: (a) Includes hand-operated tools, even if mechanical power takes the place of muscular force, or example, electric saws and drills.

(b) Not including machines or machine tools (Cl. 15 or 31).

08-01 TOOLS AND IMPLEMENTS FOR DRILLING, MILLING OR DIGGING

08-02 HAMMERS AND OTHER SIMILAR TOOLS AND IMPLEMENTS

08-03 CUTTING TOOLS AND IMPLEMENTS

Note: (a) Including tools and instruments for sawing.

(b) Not including table knives (Cl. 07-03), cutting tools and implements for kitchen use (Cl. 31), or knives used in surgery (Cl. 24-02).

08-04 SCREWDRIVERS AND OTHER SIMILAR TOOLS AND IMPLEMENTS

08-05 OTHER TOOLS AND IMPLEMENTS

Note: Includes tools which are not classified, or not to be placed, in other subclasses or classes.

08-06 HANDLES, KNOBS AND HINGES

08-07 LOCKING FOR CLOSING DEVICES

08-08 FASTENING, SUPPORTING OR MOUNTING DEVICES NOT INCLUDED IN OTHER CLASSES

Note: (a) Including nails, screws, nuts and bolts.

(b) Not including fastening devices for clothing (Cl. 02-07), for adornment (Cl. 11-01), or for office use (Cl. 19-02)

08-09 METAL FITTINGS AND MOUNTINGS FOR DOORS, WINDOWS AND FURNITURE, AND SIMILAR ARTICLES

08-10 BICYCLE RACKS

08-99 MISCELLANEOUS

Note: Including non-electric cables, regardless of the material of which they are made.

CLASS 09

Packages and containers for the transport or handling of goods

09-01 BOTTLES, FLASKS, POTS, CARBOYS, DEMIJOHNS, AND CONTAINERS WITH DYNAMIC DISPENSING MEANS

Note: (a) "Pots" means those serving as containers

(b) Not including pots regarded as crockery (Cl. 07-01), or flower pots (Cl. 11-02).

09-02 STORAGE CANS, DRUMS AND CASKS

09-03 BOXES, CASES, CONTAINERS, (PRESERVE) TINS OR CANS

Note: Including freight containers.

09-04 HAMPERS, CRATS AND BASKETS

09-05 BAGS, SACHETS, TUBES AND CAPSULES

Note: (a) Including plastic bags or sachets, with or without handle or means of closing.

(b) "Capsules" means those used for packaging.

09-06 ROPES AND HOOPING MATERIALS

09-07 CLOSING MEANS AND ATTACHMENTS

Note: (a) Includes only closing means for packages.

(b) "Attachments" means, for example, dispensing and dosing devices incorporated in containers and detachable atomizers.

09-08 PALLETS AND PLATFORMS FOR FORKLIFTS

09-09 REFUSE AND TRASH CONTAINERS AND STANDS THEREFOR

09-99 MISCELLANEOUS

CLASS 10

Clocks and watches and other measuring instruments, checking and signalling instruments

Note: Including electrically-driven instruments.

10-01 CLOCK AND ALARM CLOCKS

10-02 WATCHES AND WRIST WATCHES

10-03 OTHER TIME-MEASURING INSTRUMENTS

Note: Including time-measuring apparatus such as parking meters, timers for kitchen use and similar instruments.

10-04 OTHER MEASURING INSTRUMENTS, APPARATUS AND DEVICES

- Note: (a) Including instruments, apparatus and devices for measuring temperature, pressure, weight, length, volume and electricity.
 (b) Not including exposure meters (Cl. 16-05).

10-05 INSTRUMENTS, APPARATUS AND DEVICES FOR CHECKING, SECURITY OR TESTING

- Note: Including fire and burglar alarms, and detectors of various types.

10-06 SIGNALLING APPARATUS AND DEVICES

- Note: Not including lighting or signalling devices for vehicles (Cl. 26-06).

10-07 CASINGS DIALS, HANDS AND ALL OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS FOR MEASURING, CHECKING AND SIGNALLING

- Note: "Casings" means watch and clock casings and all casings being integral parts of instruments of which they protect the mechanism, with the exception of cases specify designed for their contents (Cl. 03-01) or for packaging (Cl. 09-03).

10-99 MESCELLANEOUS

CLASS 11**Articles of adornment**

11-01 JEWELLERY

- Note: (a) Including fancy and imitation jewellery.
 (b) Not including watches (Cl. 10-02).

11-02 TRINKETS, TABLE, MANTEL AND WALL ORNAMENTS, FLOWER VASES AND POTS

- Note: Including sculptures, mobiles and statues.

11-03 MEDALS AND BADGES

11-04 ARTIFICIAL FLOWERS, FRUIT AND PLANTS

11-05 FLAGS, FESTIVE DECORATIONS

- Note: (a) Including garlands, streamers and Christmas tree decorations.
 (b) Not including candles (Cl. 26-04).

11-99 MISCELLANEOUS

CLASS 12**Means of transport or holsting**

- Note: (a) Includes all vehicles, land, sea, air, space and others.

(b) Including parts, components and accessories which exist only in connection with a and vehicle cannot be placed in another class; these parts, components and accessories of vehicles are to be placed in the subclass of the vehicle in question, or in Class 12-16 if they are common to several vehicles included in different subclasses.

(c) Not including, in principle, parts, components and accessories of vehicles which can be placed another class; these parts, components and accessories are to be placed in the same class as articles of the same type, in other words, having the same function. Thus, carpets or mats for automobiles are to be placed with carpets (Cl. 06-11); electric motors for vehicles are to be placed in Class 13-01, and non-electric motors for vehicles in Class 15-01 (the same applies to the components-of such motors), automobile headlamps are to be placed with lighting apparatus (Cl. 26-06).

(d) Not including scale models of vehicles (Cl. 21-01).

12-01 VEHICLES DRAWN BY ANIMALS

12-02 HANDCARTS, WHEELBARROWS

12-03 LOCOMOTIVES AND ROLLING STOCK FOR RAILWAYS AND OTHER RAIL VEHICLES

12-04 TELPHER CARRIERS, CHAIR LIFTS AND SKILIFTS

12-05 ELEVATORS AND HOISTS FOR LOADING OR CONVEYING

Note: Including passenger lifts, goods lifts, cranes, forklift trucks and conveyor belts.

12-06 SHIPS AND BOATS

12-07 AIRCRAFTS AND SPACE VEHICLES

12-08 MOTOR CARS, BUSES AND LORRIES

Note: Including ambulances and refrigerator vans (road).

12-09 TRACTORS

12-10 ROAD VEHICLE TRAILERS

Note: Including caravans.

12-11 CYCLES AND MOTORCYCLES

12-12 PERAMBULATORS, INVALID CHAIRS, STRETCHERS

Note: (a) :Perambulators" means hand carriage for infants.

(b) Not including toy perambulators (Cl. 21-01).

12-13 SPECIAL-PURPOSE VEHICLES

Note: (a) Includes only vehicles not specially intended for transport, such as street - cleaning vehicles, watering lorries, fire engines, snow ploughs and breakdown lorries.

(b) Not including mixed-purpose agricultural machines (Cl. 15-03), or self-propelled machines for use in construction and civil engineering (Cl. 15-04).

12-14 OTHER VEHICLES

Note: Including sleighs and air-cushion vehicles.

12-15 TYRES AND ANTI-SKID CHAINS FOR VEHICLES

12-16 PARTS, EQUIPMENT AND ACCESSORIES FOR VEHICLES, NOT INCLUDED IN OTHER CLASSES OR SUBCLASSES

12-99 MISCELLANEOUS

CLASS 13

Equipment for production, distribution or transformation of electricity

Note : (a) Includes only apparatus which produces, distributes or transforms electric current.

(b) Including electric motors, however.

(c) Not Including electrically-driven apparatus, such as electric watches (Cl. 10-02), or apparatus for the measurement of electric current (Cl. 10-04).

13-01 GENERATORS AND MOTORS

Note: including electric motors for vehicles.

13-02 POWER TRANSFORMERS, RECTIFIERS, BATTERIES AND ACCUMULATORS

13-03 EQUIPMENT FOR DISTRIBUTION OR CONTROL OF ELECTRIC POWER

Note: Including conductors, switches and switchboards.

13-99 MISCELLANEOUS

CLASS 14

Recording, communication or information retrieval equipment

14-01 EQUIPMENT FOR THE RECORDING OR REPRODUCING OR REPRODUCTION OF SOUNDS OR PICTUREA

Note: Not including photographic or cinematographic apparatus (Cl. 16).

14-02 DATA PROCESSING EQUIPMENT AS WELL AS PERIPHERAL APPARATUS AND DEVICES

14-03 COMMUNICATIONS EQUIPMENT, WIRELESS REMOTE CONTROLS AND RADIO AMPLIFIERS

Note: Including telegraphic, telephone and television apparatus, as well as wireless apparatus and teleprinters.

14-99 MISCELLANEOUS

CLASS 15

Machines, not elsewhere specified

15-01 ENGINES

Note: (a) Including non-electric engines for vehicles.

(b) Not including electric motors (Cl. 13).

15-02 PUMPS AND COMPRESSORS

Note: Not including hand or foot pumps (Cl. 08-05), or or fire extinguishing pumps. (Cl. 29-01).

15-03 AGRICULTURAL MACHINERY

Note: (a) Including ploughs and combined machinery, i.e. , both machines and vehicles, for examples, reaping and binding machines.

(b) Not including hand tools (Cl. 08).

15-04 CONSTRUCTION MACHINERY

Note: (a) Including machines used in civil engineering and self propelled machines such as excavators, concrete mixer and dredgers.

(b) Not including hoists and cranes (Cl. 12-05).

15-05 WASHING CLEANING AND DRYING MACHINES.

Note: Including:

(a) appliances and machines for treating lines and clothes, such as ironing machines and wringers.

(b) dishwashing machines and industrial drying equipment.

1409 ENT/2001-12

15-06 TEXTILE, SEWING, KNITTING AND EMBROIDERING MACHINES INCLUDING THEIR INTEGRAL PARTS

15-07 REFRIGERATION MACHINERY AND APPARATUS

Note: (a) Including household refrigeration apparatus.

(c) Not including refrigerator wagons (rail) (Cl. 12-03) or refrigerator vans (road) (Cl. 12-08).

15-08 [vacant]

15-09 MACHINE TOOLS, ABRADING AND FOUNDRY MACHINERY

Note: Not including earth working machinery and material separators (Cl. 15-99).

15-99 MISCELLANEOUS

CLASS 16

Photographic, cinematographic and optical apparatus

Note: Not including lamps for photography or filming (Cl. 26-05).

16-01 PHOTOGRAPHIC CAMERAS AND FILM CAMERAS

16-02 PROJECTORS AND VIEWERS

16-03 PHOTOCOOPYING APPARATUS AND ENLARGERS

Note: Including microfilming equipment and apparatus for viewing microfilms, as well as office machines known as "photocopying" apparatus which use other than photographic processes (in particular, thermal or magnetic processes).

16-04 DEVELOPING APPARATUS AND EQUIPMENT

16-05 ACCESSORIES

Note: Including filters for photographic cameras, exposure meters, tripods and photographic flashlight apparatus.

16-06 OPTICAL ARTICLES

Note: (a) Including spectacles and microscopes.

(b) Not including measuring instruments embodying optical devices (Cl. 10-04).

16-99 MISCELLANEOUS

CLASS 17

Musical instruments

Note: Not including cases for musical instruments (Cl. 03-01), or equipment for the recording or reproduction of sounds (Cl. 14-01).

17-01 KEYBOARD INSTRUMENTS

Note: Including electronic and other organs, accordions, and mechanical and other pianos.

17-02 WIND INSTRUMENTS

Note: Not including organs, harmoniums and accordions, and mechanical and other pianos.

- 17-03 STRINGED INSTRUMENTS
 17-04 PERCUSSION INSTRUMENTS
 17-05 MECHANICAL INSTRUMENTS

Note: (a) Including music boxes.
 (b) Not including mechanical keyboard instruments (Cl. 17-01).

- 17-99 MISCELLANEOUS

CLASS 18

Printing and office machinery

- 18-01 TYPEWRITERS AND CALCULATING MACHINES

Note: Not including computers and other apparatus to be placed in Class 14-02

- 18-02 PRINTING MACHINES

Note: (a) Including typesetting machines, stereotype machines and apparatus, typographic machines and other reproducing machines such as duplicators and offset equipment, as well as addressing machines, franking and cancelling machines.

(b) Not including photocopying machinery (Cl. 16-03).

- 18-03 TYPE AND TYPE FACES

- 18-04 BOOKBINDING MACHINES, PRINTERS' STAPLING MACHINES, GUILLOTINES AND TRIMMERS (FOR BOOKBINDING)

Note: Including machines and similar devices for cutting paper, analogous to guillotines and trimmers.

- 18-99 MISCELLANEOUS

CLASS 19

Stationery and office equipment, artists' and teaching materials

- 19-01 WRITING PAPER, CARDS FOR CORRESPONDENCE AND ANNOUNCEMENTS

Note: Includes all paper, in the widest sense of the term, which is used for writing, drawing, painting or printing, such as tracing paper, carbon paper, newsprint, envelopes, greetings cards and illustrated postcards, even if they embody a sound recording.

- 19-02 OFFICE EQUIPMENT

Note: (a) Including equipment used at cash desks, such as change sorters.

(b) Some office equipment is to be placed in other subclasses or classes; for example, office furniture in Class 06, office machines and equipment in Class 14-02; 16-03; 18-01; 18-02 or 18-04, and writing materials in Class 19-01 or 19-06 (see alphabetical List).

- 19-03 CALENDERS

Note: Not including diaries (Cl. 19-04).

- 19-04 BOOKS AND OTHER OBJECTS OF SIMILAR OUTWARD APPEARANCE

Note: Including covers of books, binding, albums, diaries and similar objects.

19-05 [vacant]

19-06 MATERIALS AND INSTRUMENTS FOR WRITING BY HAND, FOR DRAWING, FOR PAINTING, FOR SCULPTURE, FOR ENGRAVING AND FOR OTHER ARTISTIC TECHNIQUES

Note: Not including paintbrushes (Cl. 04-04), drawing tables and attached equipment (Cl. 06-03), or writing paper (Cl. 19-01).

19-07 TEACHING MATERIALS

Note: (a) Including maps of all kinds, globes and planetariums.
(b) Not including audio-visual teaching aids (Cl. 14-01).

19-08 OTHER PRINTED MATTER

Note: Including printed advertising materials.

19-99 MISCELLANEOUS

CLASS 20

Sales and advertising equipment, signs

20-01 AUTOMATIC VENDING MACHINE

20-02 DISPLAY AND SALES EQUIPMENT

Note: Not including articles of furniture (Cl. 06).

20-03 SIGNS, SIGNBOARDS AND ADVERTISING DEVICES

Note: (a) Including luminous advertising devices and mobile advertising devices.
(b) Not including packages (Cl. 09), or signalling devices (Cl. 10-06).

20-99 MISCELLANEOUS

CLASS 21

Games, toys, tents and sports goods

21-01 GAMES AND TOYS

Note: (a) Including scale models.
(b) Not including toys for animals (Cl. 30-99).

21-02 GYMNASTIC AND SPORTS APPARATUS AND EQUIPMENT

Note: (a) Includes, as sports equipment: apparatus and equipment necessary for the various sports which have no other specific purpose, such as footballs, skis and tennis rackets, to the exclusion of all other objects which may also be used in practicing a given sport.

(b) Including subject to the reservation mentioned under (a), training equipment and apparatus and equipment necessary for outdoor games.

(c) Not including sports clothing (Cl. 02), toboggans or sleighs (Cl. 12-14).

21-03 OTHER AMUSEMENT AND ENTERTAINMENT ARTICLES

Note: (a) Including fairground roundabouts and automatic machines for games of chance.

(b) Not including games and toys (Cl. 21-01), or other articles to be placed in Class 21-01 or 21-02.

21-04 TENTS AND ACCESSORIES THEREOF

Note: (a) Including poles, pegs and other similar articles.

(b) Not including other camping articles to be placed in other classes according to their nature, such as chairs (Cl. 06-01), tables (Cl. 06-03), plates (Cl. 07-01), and caravans (Cl. 12-10).

21-99 MISCELLANEOUS

CLASS 22

Arms, pyrotechnic articles, articles for hunting, fishing and pest killing

22-01 PROJECTILE WEAPONS

22-02 OTHER WEAPONS

22-03 AMMUNITION, ROCKETS AND PYROTECHING ARTICLES

22-04 TARGETS AND ACCESSORIES

Note: Including the special device for actuating mobile targets.

22-05 HUNTING AND FISHING EQUIPMENT

Note: Not including articles of clothing (Cl. 02), or weapons (Cl. 22-01 or 22-02).

22-06 TRAPS, ARTICLES FOR PEST KILLING

22-99 MISCELLANEOUS

CLASS 23

Fluid distribution equipment, sanitary, heating, ventilation and air-conditioning equipment, solid fuel

23-01 FLUID DISTRIBUTION EQUIPMENT

Note: Including pipes and pipe fittings.

23-02 SANITARY APPLIANCES

Note: (a) Including baths, showers, washbasins, saunas, waterclosets, sanitary units and sanitary accessories not included in other classes.

(b) Not including pipes or pipe fittings (Cl. 23-01).

23-03 HEATING EQUIPMENT

23-04 VENTILATION AND AIR-CONDITIONING EQUIPMENT

23-05 SOLID FUEL

23-99 MISCELLANEOUS

CLASS 24

Medical and laboratory equipment

Note: The term "medical equipment" covers also surgical, dental and veterinary equipment.

24-01 APPARTUS EQUIPMENT FOR DOCTORS, HOSPITALS AND LABORATORIES

24-02 MEDICAL INSTRUMENTS, INSTRUMENTS AND TOOLS FOR LABORATORY USE

Note: Includes only hand-operated instruments.

24-03 PROSTHETIC ARTICLES

24-04 MATERIALS FOR DRESSING WOUNDS, NURSING AND MEDICAL CARE

24-99 MISCELLANEOUS

CLASS 25

Building units and construction elements

25-01 BUILDING MATERIALS

Note: Including bricks, beams, pre-shaped strips, tiles, slates and panels.

25-02 PREFABRICATED OR PRE-ASSEMBLED BUILDING PARTS

Note: (a) Including windows, doors, outdoors shutters, partition walls and gratings.
(b) Not including staircases (Cl. 25-04).

25-03 HOUSES, GARAGES AND OTHER BUILDINGS

25-04 STEPS, LADDERS AND SCAFFOLDS

25-99 MISCELLANEOUS

CLASS 26

Lighting apparatus

26-01 CANDLESTICKS AND CANDELABRA

26-02 TORCHES AND HAND LAMPS AND LANTERNS

26-03 PUBLIC LIGHTING FIXTURES

Note: Including outside lamps, stage lighting and searchlight projectors.

26-04 LUMINOUS SOURCES, ELECTRICAL OR NOT

Note: Including bulbs for electric lamps, luminous plaques and tubes, and candles.

26-05 LAMPS, STANDARD LAMPS, CHANDELIERS, WALL AND CEILING FIXTURES,
LAMP SHADES, REFLECTORS, PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC
PROJECTOR LAMPS

26-06 LUMINOUS DEVICES FOR VEHICLES

26-99 MISCELLANEOUS

CLASS 27

Tobacco and smokers' supplies

27-01 TOBACCO, CIGARS AND CIGARETTES

- 27-02 PIPES, CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS
- 27-03 ASHTRAYS
- 27-04 MATCHES
- 27-05 LIGHTERS
- 27-06 CIGAR CASES, CIGARETTE CASES, TOBACCO JARS AND POUCHES
- Note: Not including packages (Cl. 09).
- 27-99 MISCELLANEOUS

CLASS 28

Pharmaceutical and cosmetic products, toilet articles and apparatus

- 28-01 PHARMACEUTICAL PRODUCTS
- Note: (a) Including for animals.
(b) Not including materials for dressing wounds and nursing (Cl. 24-04).
(c) Including chemicals in cachet, capsule, lozenge, pill and tablet forms
- 28-02 COSMETIC PRODUCTS
- Note: Including for animals.
- 28-03 TOILET ARTICLES AND BEAUTY PARLOR EQUIPMENT
- Note (a) Including razors, apparants and appliances for hair removing or hair dressing.
(b) Not including toilet and make-up brushes (Cl. 04-02), or articles and equipment for animals (Cl. 30-99)
- 28-04 WIGS, FALSE HAIRPIECES
- 28-99 MISCELLANEOUS

CLASS 29

Devices and equipment against fire hazards, for accident prevention and for rescue

- 29-01 DEVICES AND EQUIPMENT AGAINST FIRE HAZARDS
- Note : (a) Including fire extinguishers
(b) Not including fire engines (vehicles) (Cl. 12-13), free-hoses and nozzles for fire-hoses (Cl. 23-01).
- 29-02 DEVICES AND EQUIPMENT AGAINST FOR ACCIDENT PREVENTION AND FOR RESCUE, NOT ELSEWHERE SPECIFIED
- Note: (a) Including devices and equipment for animals.
(b) Not including helmets (Cl. 02-03) and garments for protection against accidents (Cl. 02-02; 02-04 or 02-06).
- 29-99 MISCELLANEOUS

CLASS 30

Articles for the care and handling of animals

Note: Not including animal foodstuffs (Cl. 01), or pharmaceutical and cosmetic products for animals (Cl. 28-01 or 28-02).

30-01 ANIMAL CLOTHING

30-02 PENS, CAGES, KENNELS AND SIMILAR SHELTERS

Note: Not including buildings (Cl. 25)

30-03 FEEDERS AND WATERERS

30-04 SADDLERY

Note: Including collars for animals.

30-05 WHIPS AND PRODS

30-06 BEDS AND NESTS

30-07 PERCHES AND OTHER CAGE ATTACHMENTS

30-08 MARKERS, MARLS AND SHACKLES

30-09 HITCHING POSTS

30-99 MISCELLANEOUS

CLASS 31**Machines and appliances for preparing food or drink, not elsewhere specified**

Note: Not including hand-manipulated utensil, instruments and appliances for serving or preparing food or drink (Cl. 07).

31-00 MACHINES AND APPLIANCES FOR PREPARING FOOD OR DRINK, NOT ELSEWHERE SPECIFIED

CLASS 99**Miscellaneous**

Note: Includes all products not included in the preceding classes.

99-00 MISCELLANEOUS

THE FOURTH SCHEDULE

(see rule 43)

Scale of costs allowable in proceedings before the Controller

Entry No.	Matter in respect of which cost is to be awarded.	Amount
1.	For Notice of Opposition under rule 40	Rs. 100.00
2.	For petition for cancellation of the registration of for design under section 19.	Rs.1000.00
3.	For notice of information to attend Hearing.	Rs. 200.00
4.	Stamps for Power of Attorney, where a professional has been appointed.	The amount actually paid.
5.	Stamps fee in respect of relevant Affidavit.	actually paid
6.	For Statement under rules 29(1) and 40(2).	Rs. 200.00
7.	For Counter Statement under rules 29(3) and 40(4)	Rs. 200.00
8.	For each Affidavit, if relevant.	Rs. 100.00
9.	For each Citation, if relevant.	Rs. 100.00
10.	For each unnecessary or irrelevant Affidavit or Citation.	Rs. 100.00
11.	For every day or part of a day of Hearing before the Controller.	Rs. 500.00

[No. 14(10)/2000-PP&C]

A. E. AHMAD, Jt Secy.

